

विषय-सूची

क्रम संख्या	विषय	लेखक	पृष्ठ संख्या
१—	वेदोपदेश	सम्पादक	१
२—	माननीया श्रीमती शाहू जो द्वारा कार्यशाला के उद्घा- टनावसर पर दिया गया भाषण		२
३—	आर्य समाज और राजनीति	ले०—डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार	७
४—	राष्ट्रभाषा सम्मेलन या अग्नेजी हटाओ सम्मेलन ?	ले०—डॉ० वेदप्रताप वैदिक	१६
५—	सृष्टि जब तक है अमर हो तुम तुम्हारे गान तुलसी !	ले०—डॉ० अम्बिका प्रसाद वाजपेयी एम०ए०, पी-एच०डी०, डी० लिट०	२४
६—	वैदिक धर्म की विशेषता	ले०—डॉ० हरिदत्त पालीवाल 'निर्भय' पी-एच०डी०	२८
७—	मृत्यु के कालदूत पृथ्वी पर आये	ले०—डा० रामचरण महेन्द्र, पी०—एच०डी०	३७
८—	वैदिक संस्कृति और मोक्ष	ले० श्री डा० मुशीराम जी शर्मा, ४४ डी० लिट० ६/७० धार्यनगर, कानपुर	
९—	आर्यसमाज एक शताब्दी की उपलब्धियाँ	ले०—डॉ० भवानी लाल भारतीय एम०ए०, पी-एच०डी०	५२
१०—	वैदिक शिक्षा राष्ट्रीय कार्यशाला की प्रमुख सस्तुतियाँ —		६१
११—	नदी का दर्प	कुमार हिन्दी	६७
१२—	विश्वविद्यालय मे इटली के हिन्दी-विद्वान का आगमन		६८
१३—	इस विश्वविद्यालय के हिन्दी- विभागाध्यक्ष का सम्मान	सहायक सम्पादक	६९
१४—	सम्पादकीय वक्तव्य	सम्पादक	७०

प्रह्लाद

(त्रैमासिक पत्रिका)

[वर्ष—१९८२

(सितम्बर से दिसम्बर तक)

अंक—२]

वेदोपदेश

या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाक्षुषे नरा ।
इन्द्राग्नी तामिरा रातम् ॥

(ऋग्वेद/४/८/२८/८)

(जो मनुष्य परोपकार करने की इच्छा करते हैं वे ही सत्युष्य होते हैं)

ते नो रायो द्युमतो वाजवतो दातारो भूत सृवतः
पुरुक्षोः ।

वृक्षस्यन्तो विद्याः पार्थिवासो गोजाता अप्या
मृलता च देवाः ॥

(ऋग्वेद/६/५/५०/११)

(हे विद्वानो ! तुम निरंतर प्राप्त होने योग्य विद्या और धनो को प्राप्त
होकर सब मनुष्यों को सुखी करो)

प्र या सृष्टिन्ना सृष्टिनासु चैकिते द्युम्नोभिरन्या
अपसामपस्तमा ।

रथ इव वृहती विन्वने कृतोपस्तुस्या चिकितुषा
सरस्वती ।

(ऋग्वेद/६/५/६१/१३)

(हे मनुष्यो ! विद्या, सुशिक्षा, सत्संग, सत्यभाषण और योगाभ्यासा
दिलो से निस्पन्द हुई वाणी यह व्याप्त वा समर्थ है उसको तुम जानो)

वैदिक शिक्षा राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन
(४-६-५२) पर प्रेषित माननीया श्रीमती माधुरी
शाह जी—अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
भारत सरकार का

भाषण

मान्यवर प्रिंसिपल महोदय, कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय
उपस्थित विद्वज्जन,

आपने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित "वैदिक शिक्षा
राष्ट्रीय कार्यशाला" के उद्घाटन हेतु मुझे आमन्त्रित किया—इस सम्मान के
लिए मैं आपका आभारी हूँ।

भारत के नवजागरण के आन्दोलन में ऋषि दयानन्द का स्थान अद्वितीय
है। उनसे प्रेरणा लेकर स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने आज से ८० वर्ष पहले
एक नई भाषा और नई स्फूर्ति से गंगा नदी के तट पर गुरुकुल कांगड़ी की
स्थापना की थी। उस समय की शिक्षा पद्धति में वे सन्तुष्ट न थे। एक और
विदेशी भाषा के माध्यम से पढ़े हुए युवक ब्रिटिश शासन के सचिवालयों में
नौकरी की खोज करते थे, दूसरी ओर प्राचीन शिक्षा स्थलों पर चल रही
पाठशालाओं में अध्द्ययन करते हुए विद्यार्थी प्राधुनिक ज्ञान विज्ञान में सर्वथा
विमुख थे। अपने ग्रन्थ सत्यार्थ-प्रकाश में ऋषि दयानन्द ने समग्र शिक्षा का जो
मन्त्र प्रस्तुत किया था उसको मूर्त रूप देने हेतु महत्त्वात् हमराज और उनके
सहयोगियों ने १८८६ में डी०ए०बी० कालेज लाहौर की स्थापना की थी, किन्तु
स्वामी श्रद्धानन्द और प० गुरुदत्ता डी०ए०बी० कालेज की उपलब्धियों से
सन्तुष्ट नहीं थे। अतः उन्होंने गुरुकुल की स्थापना का बीड़ा उठाया, जिसमें
कि भारतीय विदेशी दोनों शिक्षा पद्धतियों का समन्वय हो और दोनों के गुण
ग्रहण करते हुए दोनों के दोषों से मुक्ति हो। गुरुकुल की प्रारम्भिक योजना में

माननीया श्रीमती शाह जी अप्रीहायं कारणों से स्वयं उपस्थित नहीं हो सकी
तथा उनका उक्त भाषण उनकी अनुपस्थिति में पढ़कर सुनाया गया—

—सम्पादक

वेद-वेदांग और सस्कृत साहित्य की शिक्षा के साथ-२ आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को भी यथोचित स्थान दिया गया और शिक्षा का माध्यम राष्ट्रीय भाषा हिन्दी को रखा गया। गुरुकुल में गुरु-शिष्य परम्परा के अन्तर्गत ब्रह्मचर्य, तप, स्वाध्याय, स्वाम्भन और स्वदेशी का विशेष महत्व था।

आज जब चहुँ ओर से हमें शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं ने घेर रखा है, वैदिक शिक्षा के आधारभूत मूल्यों पर गहन विचार करने की आवश्यकता है। आज देश में १२० से अधिक विश्वविद्यालय हैं ४,५०० कालेज हैं ४०००० माध्यमिक पाठशालाएँ हैं और छ लाख प्राथमिक पाठशालाएँ हैं, उच्च शिक्षा के संस्थानों में लगभग दो लाख अध्यापक काम कर रहे हैं। इक्कीस लाख विद्यार्थी उनमें अध्ययन कर रहे हैं। अर्धई लाख विद्यार्थी स्नातकोत्तर संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं। वैज्ञानिक जनशक्ति की संख्या के अनुसार हमारी गणना विश्व के राष्ट्रों में तीसरे स्थान पर है। हमारे उच्चतम वैज्ञानिक विश्व के किसी भी राष्ट्र के वैज्ञानिकों के समकक्ष खड़े हो सकते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं सामाजिक लक्ष्यों और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल नहीं हो पा रही। हमारे स्नातक-स्तर के कोर्स जो कि पुरानी पद्धति पर आधारित हैं देश की आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे।

यह ठीक है कि विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य विद्या का प्रसार और नए अनुसंधान करके जगत् के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करना है। इस कार्य हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि विश्वविद्यालयों का वातावरण शुद्ध, शान्त और तपोमय हो, जिससे कि विद्योपाजन और ज्ञान-विज्ञान के अनुसंधान में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। लेकिन यदि हम यहाँ तक ही विश्वविद्यालय के लक्ष्य को सीमित कर दें तो जन साधारण के साथ यह एक बहुत भारी अन्याय होगा। आर्यसमाज का नया नियम है, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इस लक्ष्य की पूर्ति तभी हो सकती है यदि शिक्षा संस्थान अपने छोटे-पड़ोस में जा कर निर्बल वर्गों की और ग्रामवासियों की जरूरतों, इच्छाओं, अभिलाषाओं, कमजोरियों और शक्तियों का अध्ययन करें और उनके साथ मिल-जुल कर अपनी शिक्षा का लाभ उनको देते हुए उनके स्तर को ऊँचा करने की कोशिश करें। इससे एक ओर तो अध्यापकों और विद्यार्थियों में समाजसेवा की भावना उजागर होगी, दूसरी ओर यह भी जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि हमारी शिक्षा में क्या त्रुटियाँ हैं और हमारे पाठ्यक्रम को क्या मोड़ देना अभीष्ट है ?

इस सदरम में मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपके विश्वविद्यालय ने अपने मातृग्राम कागडी को सम्भाला है और बिजनौर के जिला अधिकारियों की सहायता से वहा ग्राम विकास का एक अभूतपूर्व कार्यक्रम शुरू किया गया है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष वहा ३०,००० सहजुत के पीछे और २,००० सुबबूल के पेड लगाने का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त वहा एक वायोमैस प्लान्ट और पवनचक्की लगाने की योजना भी है जिससे कि घरों में बिजली और पीने का पानी उपलब्ध होगा। कलैक्टर बिजनौर ने निर्बल-आवास, दुकानों के निर्माण, सड़कों को पक्का करने और काम धन्धों को शुरू करने के लिए यथेष्ट अनुदान और ऋण उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है। आशा है आपके सहयोग से ग्रामवासी इन योजनाओं से पूरा लाभ उठावेंगे।

इस बात को हमें स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए कि जो शिक्षा नैतिक मूल्यों के विकास की अवहेलना करती है उसे शिक्षा की सजा नहीं दी जा सकती। नैतिक मूल्यों का विकास और मानव में उच्चतम सत्कारों की प्रतिष्ठा किसी भी शिक्षा प्रणाली का आधार स्तम्भ है। यही गुरु शिष्य परम्परा का मुख्य ध्येय है। गुरु शिष्य को निकटस्थ करके उसकी रक्षा और शिक्षा-दीक्षा करता है, उसकी समस्याओं का निदान करता है "उसके समक्ष आदर्श जीवन के लक्ष्य उपस्थित करता है, जिससे कि ब्रह्मचारी सन्मर्ग में प्रेरित हो और पापाचरण से बचे। जो धर्मयुक्त कार्य हो उनको ग्रहण करे। विद्वानों का सत्कार करे, माता, पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा करे। आज देश को ऐसे ही गुरुकुलों की आवश्यकता है जहा चरित्रवान् और धर्मनिष्ठ गुरु ब्रह्मचारियों के सम्मुख आदर्श जीवन का उदाहरण उपस्थित करने में सदा प्रयत्नशील हो। हमें ऐसे गुरुकुलों की आवश्यकता है जहा गुरुजन और ब्रह्मचारी सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्याग में सर्वदा उद्यत हो, जहा सब काम धर्म के अनुसान अर्थात् सत्य और असत्य का विचार करके किए जायें, जहा का वातावरण परोपकार की भावना से प्रोत्-प्रोत् हो, जहा अविद्या के नाश और विद्या की वृद्धि हेतु अहर्निश यज्ञ रचे जाए।

सभी ओर से आवाज उठ रही है कि आज की शिक्षा-पद्धति से शिक्षित बेकारों की सख्या में वृद्धि हो रही है। इसी हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सुझाव प्रस्तुत किया है कि बहुत-सी सरकारी नौकरियों के लिए स्नातक की उपाधि की शर्तें हटा दी जाए। जिस कार्य के लिए जिस गुण की आवश्यकता हो उसी गुण की परख करके नौकरीदाता प्रार्थी को

नौकरी प्रदान करे और यह गुण विश्वविद्यालय प्रणाली से बाहर भी प्राप्त किये जा सकते हैं। इसी हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महा-विद्यालयों में प्रवेश के लिये निम्न छः बिन्दु की नीति निर्धारित की है :

- (क) किसी भी विभाग अथवा महाविद्यालय में प्रवेश उस विभाग अथवा महाविद्यालय की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए योग्यता के आधार पर देना चाहिए।
- (ख) नये विश्वविद्यालय, महाविद्यालय स्थानीय शैक्षणिक आवश्यकताओं के सर्वेक्षण के पश्चात् केवल पिछड़े इलाकों में ही खोले जाएं।
- (ग) माध्यमिक स्तर पर अर्थकरी विद्या का प्रबन्ध किया जाए,
- (घ) स्नातक शिक्षा के पाठ्यक्रम में समुचित सशोधन किया जाए। जिस से कि स्नातकों को समाज की अर्थव्यवस्था में उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई न हो।
- (ङ) पत्राचार के द्वारा शिक्षा-परीक्षा का प्रबन्ध विस्तृत किया जाए।
- (च) समाज के निर्बल वर्गों के लिए शिक्षा की मुविधाएँ बढ़ाई जाएं।

आज देश की जनसंख्या, स्वास्थ्य, परिवारण, जन-संचार तथा अन्य कितने ही क्षेत्रों में मध्य स्तर के कारीगरो, शिल्पियों की आवश्यकता है, यदि परम्परागत पाठ्यक्रमों में थोड़ा बहुत अदल-बदल करके इन सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई विश्वविद्यालय पहल करेगा तो विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग उसकी सहायता के लिए तत्पर होगा।

जहां ज्ञान वृद्धि और अनुसंधान का सबंध है वहां भी हम चाहेगे कि ऐसे विषयों पर अनुसंधान हो जिनसे स्थानीय, प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय समस्याओं के निदान ढूँढने में सहायता मिले।

गुरुकुल कागड़ी को विश्वविद्यालय स्तर की मान्यता प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि आपने विशेष क्षेत्र में अपनी एक परिपक्व स्थान प्राप्त कर लिया है और उस क्षेत्र में आपका स्तर अन्य सस्थाओं से ऊंचा है। भले ही इस विश्वविद्यालय में सामान्य विश्वविद्यालयों की तरह विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन का प्रबन्ध न हो परन्तु अपने चुने हुए क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय की उपलब्धियाँ और प्रतिष्ठा अद्वितीय होनी चाहिए। वेद सत्य

(६)

विद्या की पुस्तक है। वेद को पढना पढाना, सुनना सुनाना सब आयों का परम धर्म है, अतः वेद में गहन अनुसंधान करना, वेद का अध्ययन अध्यापन और विश्व की समस्त भाषाओं में इसका प्रचार करना आपका मुख्य कर्तव्य है। यह प्रश्न आपको स्वयं से पूछना होगा और इसका उत्तर देना होगा कि आप इस दिशा में कितने अग्रसर हैं। इस प्रश्न का उत्तर आज राष्ट्र आपसे माग रहा है। आपके पास एक बहुत कीमती निधि है। आप उसका कितना प्रयोग कर रहे हैं ? आज देश को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वैदिक ज्योति के आप प्रकाश पुत्र हैं। आशा है, गुरुकुल विश्वविद्यालय से ऐसी ज्योति प्रस्फुटित होगी जो न केवल देश का अपितु विश्व का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस आशा और आर्शीवाद के साथ मैं इस राष्ट्रीय महत्व की वैदिक शिक्षा कार्यशाला का उद्घाटन करती हूँ।

धन्यवाद !

आर्य समाज और राजनीति

७०—डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार

अपने देश में दो प्रबल विचार-धाराएं बड़े वेग से चल रही हैं। एक है, 'सांस्कृतिक' विचार-धारा और दूसरी है 'राजनैतिक' विचारधारा। भारतवर्ष स्वतंत्र हो गया, तो भारत की प्राचीन संस्कृति, वह संस्कृति जिसके विषय में हम कहा करते थे कि उसने विजेताओं को भी पराजित कर दिया, वह संस्कृति जिसके विषय में हम कहते थे कि ईजिप्ट और मैसेपोटामिया की संस्कृति नष्ट हो गई, परन्तु भारत की संस्कृति नष्ट नहीं हुई, भारत के स्वतंत्र होने पर अब उस संस्कृति का पुनरुज्जीवन होना चाहिये, इतना ही नहीं कि उस संस्कृति का पुनरुज्जीवन होना चाहिये, अपितु उस संस्कृति का सदेश लेकर हमारे सन्देश हर देश-विदेश में जाने चाहिये, एक तो यह विचार-धारा है। दूसरी विचार-धारा यह है कि हमें संस्कृति की तरफ अपना समय व्यर्थ में नहीं खोना, हमारा मुख्य कार्य राजनैतिक है, राजनैतिक अर्थात् मुख्य तौर पर आर्थिक। राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, भूख की समस्या का हल क्या किया जाए, बेकारों को काम कैसे दिया जाए—हमारा काम मुख्य तौर पर इन प्रश्नों को हल करना है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण के व्यक्ति मुख्यतः आर्यसमाजी है, राजनैतिक दृष्टिकोण के व्यक्ति कांग्रेसी है, सोशलिस्ट है, या कम्युनिस्ट है। राजनैतिक नेता किसी ऐसे शब्द से घृणा करते हैं जिस से 'धर्म' या 'संस्कृति' की गंध आती हो। उन्होंने यह घोषणा कर दी है कि भारतीय राष्ट्र का निर्माण असाम्प्रदायिक नींव पर होगा, इसमें किसी धर्म को मुख्यता न होगी, किसी धर्म को मानने के कारण किसी के अधिकार नहीं छिनेंगे। राजनैतिक नेताओं की यह घोषणा इतनी युक्ति-युक्त तथा सगत है कि इसके विरुद्ध सांस्कृतिक

(माननीय लेखक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के विजिटर हैं। इससे पूर्व आप वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। आप सुप्रसिद्ध विद्वान एव लेखक हैं।)

—सम्पादक

नेता भी कुछ कह नहीं सकते । आखिर, यह तो कोई भी नहीं कह सकता कि किसी भी राष्ट्र में किसी धर्म के कारण अधिकारों का बंटवारा हो । पाकिस्तान क्रिया में भले ही कुछ क्यों न करता हो, परन्तु वहाँ भी कहने को यही घोषणा की जाती है कि पाकिस्तान सब धर्मों के साथ एक सा बर्ताव करेगा । विश्व की प्रगतिशील राजनीति में आज कोई अपने को खुल्लमखुल्ला साम्प्रदायिक कहे, और दूसरों के साथ एक ही श्रेणी में बैठ सके, ऐसा नहीं हो सकता । इसी का यह परिणाम है कि आज अत्यन्त उग्र साम्प्रदायिक कही जाने वाली सस्याओ में भी यह घोषणा की है कि वे भी भारत को असाम्प्रदायिक-राष्ट्र ही बनाना चाहती हैं । राजनैतिक नेताओं की इतनी बात मान लेने के बाद कि भारत असाम्प्रदायिक-राष्ट्र होगा, धर्म-भेद के कारण कोई ऊँचा नहीं माना जायेगा, कोई नीचा नहीं माना जायेगा, यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भारत की कोई अपनी संस्कृति होगी या नहीं, कोई ऐसी संस्कृति जो यूरोप की नहीं होगी, जो पाकिस्तान की नहीं होगी, जो भारत की अपनी होगी, और जिसे वह अपने पुराने इतिहास के अनुसार ससार के सामने रखने का साहस करेगा ।

संस्कृति का ऐसा प्रश्न है जिसमें राजनैतिक नेताओं को फिर धर्म की गंध आती है । वे यह मानने के लिए तैयार हो सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का देश-विदेश में प्रचार हो, परन्तु उन्हें हर समय यह खटका बना रहता है कि संस्कृति के नाम से फिर धर्म जाग उठेगा और जिस बात से वे निपटना चाहते हैं, वही खतरा उन्हें फिर घेर लेगा । परिणाम यह हो रहा है कि धर्म के साथ-साथ संस्कृति पर भी राजनैतिक नेताओं का प्रहार हो रहा है, और वे यह कहते हुए सुने जाते हैं कि आखिर भारतीय संस्कृति है क्या चीज ? भारतीय संस्कृति क्या चीज है इसे समझाना तो कठिन है, सिर्फं भुझलाहट में आकर ही कोई ऐसा प्रश्न पूछ बैठता है । आखिर, जो संस्कृति हजारों, सालों से चली आ रही है, जिसके विषय में स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व हमारे ही नेता भेजे तोड़ दिया करते थे, जिसका नाम लेकर स्रोतों को जगाया करते थे, वह आज अगर स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के बाद रही ही नहीं, तब तो उन्हीं नेताओं का दोष है, संस्कृति का नहीं । अब प्रश्न यह है कि अगर भारत की अपनी कोई संस्कृति है, जिसे मानकर ही हम आगे विचार कर रहे हैं, तो उसकी रक्षा का, उसके बढने का, उसके प्रचार का क्या प्रयत्न किया जाये ?

राजनैतिक नेता जब यह देखते हैं कि संस्कृति-वादी लोगों की विचार-

धारा भी काफी प्रबल है, उनके भी काफी अनुयायी हैं, तो वे उन्हें कहते हैं कि आप राजनीति में दखल मत दो, फिर भले ही अपने विचारों का प्रचार करते रहो ।

परन्तु क्या इस स्थिति को मान लिया जाए कि संस्कृतिवादी लोग राजनीति से अलग होकर जगल में अपना हल चलाने लगे ? यह तो माना जा सकता है कि धर्म के नाम पर कोई संस्था राजनीति में प्रवेश न करे, इसमें कोई सदेह नहीं कि भारतवर्ष एक असाम्प्रदायिक राज्य ही बनना चाहिए, इसमें धर्म के कारण भेद-भाव, ऊँच-नीच नहीं होना चाहिए, परन्तु यह कैसे माना जा सकता है कि भारतीय-संस्कृति के नाम पर भी कोई राजनीति में प्रवेश न करे ? हम चाहते हैं कि यहाँ की राजनीति यूरोप के ढंग से न चले, अमरीका के ढंग से न चले, भारतीय-संस्कृति के ढंग से चले । हम चाहते हैं कि यहाँ का राष्ट्रपति दस हजार रुपये मासिक वेतन न लेकर जनता के समान सम्मानित स्तर में अपना गुजारा करे, हम चाहते हैं कि वह ब्रिटिश वाइसरॉयों की तरह न रहकर महात्मा गांधी की तरह रहे । अगर हम यह सब-कुछ चाहते हैं तो तभी तो चाहते हैं क्योंकि हम अपनी पुरातन भारतीय संस्कृति को, उस संस्कृति को जिसमें धन को वह स्थान प्राप्त नहीं था जो आज प्राप्त हो गया है, राजनीति के क्षेत्र में पनपता हुआ देखना चाहते हैं । और, अगर हम भारतीय राजनीति को भारतीय सांस्कृतिक विचारधारा के अनुसार फलता-फलता देखना चाहते हैं, तो क्यों न हम राजनीति में भाग लें ? आखिर यह तो मानी हुई बात है कि वर्तमान युग में सारी शक्ति राजनैतिक नेताओं के हाथ में रहती है । वे जो नियम बना दें, अच्छे हों, बुरे हों, वे चलेंगे ही । राजनैतिक-क्षेत्र तो एक साधन है, एक शक्ति है, इस शक्ति का सहारा लेकर देश को किधर-से-किधर ले जाया जा सकता है । आखिर, राजनैतिक नेता भी तो अपने आदर्शों को क्रिया में परिणत करने के लिए राजनैतिक शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहते हैं । काश्रेंसी अगर राजनैतिक-शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो इसीलिए कि जैसा वे चाहते हैं वैसा देश को बना दें । इसी प्रकार सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट भी राजनैतिक शक्ति को अपने हाथ में इसीलिए लेना चाहते हैं कि वे देश को सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट बना दें । ये सब आर्थिक दृष्टिकोण पर ही बल देते हैं, परन्तु समाज का ढाँचा सिर्फ आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक भी होता है । हमारे बच्चे कैसी शिक्षा ग्रहण करें, उन पर किस प्रकार के संस्कार पड़े, वे सिनेमा या टेलीविजन द्वारा फैलाई जाने वाली गन्दगी से बचे या न बचे, उनका चरित्र कैसा हो-

यह सांस्कृतिक दृष्टिकोण ही तो है। ऐसी स्थिति में सस्कृति-वादी क्यों न राजनैतिक शक्ति को अपने हाथ में ले और क्यों राजनैतिक-क्षेत्र से अलग रहें ? कहा जा सकता है कि सस्कृति है ही अपनी इच्छा की चीज, इसके विस्तार में राजनैतिक शक्ति का उपयोग क्यों किया जाय ? परन्तु यह तभी कहा जा सकता है अगर सस्कृति का अर्थ-धर्म समझ लिया जाय। राजनैतिक लोग गलती से, या जान-बूझकर 'सस्कृति' और 'धर्म' को एक कहने लगते हैं, परन्तु ये दोनों एक नहीं हैं। जैसे राजनैतिक विचारों के लिए राजनैतिक शक्ति को अपने हाथ में लेना जरूरी है, वैसे सांस्कृतिक विचारों के लिए भी राजनैतिक शक्ति को अपने हाथ में लेना उतना ही जरूरी है। वैसे ही, राजनैतिक विचार के लोग भी तो जबर्दस्ती नहीं करना चाहते। क्या कांग्रेसी कहते हैं कि हम अपने विचारों को जबर्दस्ती जनता पर लाद दें ? सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट भी नहीं कहते कि उन्होंने जबर्दस्ती करनी है। सभी 'डेमोक्रेसी' और 'जनता' का नाम लेते हैं। सस्कृतिवादी लोगों को भी राजनैतिक शक्ति का प्रयोग उसी प्रकार जनता के हित के लिए करना है जिस प्रकार राजनैतिक सत्त्वाएँ करने को कहते हैं। अगर कांग्रेस को अधिकार है कि वह राज्य-शक्ति को अपने हाथ में लेकर देश में अपने अनुकूल वातावरण उत्पन्न करके अपने विचारों के अनुसार शासन स्थापित करे, अगर सोशलिस्टों को अधिकार है कि वे जनता का वोट अगर उनके साथ हो, तो राज्य शक्ति को अपने हाथ में ले, और यहाँ की राजनीति को समाजवादी बनाये, तो सस्कृति-वादियों को भी उतना ही अधिकार है कि वे भारतीय सस्कृति के नाम पर सगठन बनाये, चुनाव लड़े, अपने अनुकूल वातावरण उत्पन्न करें और भारत के आर्थिक प्रश्नों के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं चारित्रिक प्रश्नों को भी हल करें। जो लोग समस्त एशियाई देशों की बड़ी-बड़ी कांग्रेस करके घोषणा करते हैं कि भारत एशिया का नेतृत्व करेगा उन्हें मालूम होना चाहिए कि एशिया के नेतृत्व के लिए 'डेमोक्रेसी' 'सोशलिज्म' या 'कम्युनिज्म' काम नहीं आएगा, उन देशों के नेतृत्व के लिए भारतीय सस्कृति काम आयेगी। 'डेमोक्रेसी' का नेतृत्व होगा इंग्लैंड या अमेरिका से, 'सोशलिज्म' या 'कम्युनिज्म' का नेतृत्व होगा 'रूस' से— वे इन बातों में हम से बहुत बड़े-बड़े हुए हैं। हम नेतृत्व करना चाहे, तो हमें अपनी सस्कृति सत्ता के सम्मुख रखनी होगी, वह सस्कृति जिसमें 'एटमबम्ब' से सत्ता का सहार करना हमारा लक्ष्य न होगा, प्राण-मात्र की रक्षा हमारा लक्ष्य होगी, जिसमें अशोक की तरह हमारा राष्ट्र सांस्कृतिक-विजय के लिए अपनी विचारधारा को लेकर निकल पड़ेगा। प० जवाहरलाल नेहरू को जो अमेरिका में सफलता मिली थी वह 'डेमोक्रेसी'

का नारा लगाने का कारण नहीं, भारतीय सस्कृति के प्राण महात्मा गांधी की 'सत्य' और 'अहिंसा' का जगह-जगह प्रचार करने के कारण, भारतीय सस्कृति का प्रतीक होने के कारण मिली थी।

इस सम्पूर्ण विवेचन का यह अभिप्राय है कि सस्कृति-वादियों को एक ऐसे प्रबल संगठन की आवश्यकता है जो सस्कृति के नाम पर खड़ा हो, और सस्कृति तथा चरित्र-निर्माण के नाम पर ही राजनीति में भाग ले, चुनाव लड़े, और भारतीय सस्कृति को इस राष्ट्र की ऐसी चीज बना दे जिसमें यह देश सचमुच अन्य देशों का मूर्धन्य बन जय।

आर्य समाज का इतिहास एक विचित्र इतिहास रहा है। प्रगतिशील हिन्दू आर्य समाजी बन जाता है, डीला-डाला आर्य समाजी हिन्दू रह जाता है। प्रगतिशील होने के कारण आर्यसमाजियों ने सब क्षेत्रों को घेर रखा है। यद्यपि नीति के तौर पर आर्यसमाजी यही घोषणा करते रहे हैं कि आर्यसमाज का सामूहिक रूप से राजनीति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, तो भी प्रत्येक आर्य-समाजी क्योंकि एक जागा हुआ व्यक्ति है इसलिए वैयक्तिक रूप से वह राजनीति से अलग नहीं रहता। अर्थात् हुआ जब पटियाला में आर्यसमाजियों की धर-पकड़ हुई थी, और यह कह कर हुई थी कि आर्यसमाज अंग्रेजों के विरुद्ध पटवारा रचने वाली प्रच्छन्न राजनीतिक संस्था है। लाला लाजपतराय का राजनीति में भुकाव ही आर्यसमाजी होने के कारण हुआ। उन दिनों के समाजी नेताओं ने जब देखा कि अपने राजनैतिक विचारों के कारण आर्यसमाज सरकार की कोपभाजन हो रही है, और इस कारण आर्यसमाज का धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सन्देह से देखा जाने लगा है, तब उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से यह घोषणा की कि आर्यसमाज सामूहिक रूप से राजनीति में भाग नहीं लेगा, वैयक्तिक रूप से प्रत्येक आर्य समाजी राजनीति में भाग लेने के लिए स्वतन्त्र है, परन्तु इस हालत में किसी व्यक्ति के राजनैतिक विचारों का उत्तरदायित्व आर्य समाज पर नहीं होगा। इस घोषणा से आर्य समाज की संस्था के रूप में जान तो बच गई, परन्तु इस का परिणाम यह हुआ कि प्रगतिशील युवक आर्य समाज को एक निकम्मे बुढ़ड़ों का, डरपोक लोगों का समुदाय समझने लगे, और तभी से आर्य समाज शिथिल होना शुरू हो गया। आज यह अवस्था हो गई है कि जो लोग सालों से आर्य समाजी बने आ रहे हैं, वे जो सप्ताहिक सत्संगों में दिखाई देते हैं, नया खून आना बन्द हो गया है। पुराने व्यक्ति प्रायः वृद्ध हो चुके हैं अतः आर्यसमाज में प्रायः पके हुए दान ही नजर आते हैं। वे भी

आर्यसमाज के साथ इसलिए चिपटे हुए हैं क्योंकि उनकी पुरानी गढ़िया बनी हुई हैं, नई गढ़िया बूढ़ने और उन्हें बनाने में जिस नवीन शक्ति की आवश्यकता है वह उनमें नहीं है। अक्सर वे लोग शिकायत करते सुने जाते हैं कि पुराने जमाने में यह होता था, नये जमाने में कुछ नहीं होता, वे यह भूल जाते हैं कि नये जमाने को ही उन्होंने ऐसा बना दिया है जिसमें कुछ हो ही नहीं सकता।

आर्यसमाज के पास बड़ा भारी संगठन है, परन्तु वह बेकार पड़ा हुआ है। अभी तक कांग्रेस के अपने भवन नहीं है, उनके प्रचारक नहीं है। आर्य समाज के पास प्रायः प्रत्येक बड़े शहर में अपने भवन हैं, प्रतिनिधि सभाएँ बनी हुई हैं, जनता प्रायः आर्य-समाजी विचारों के अत्यन्त निकट है। यह सब कुछ होते हुए आर्य समाज अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में इसलिए पिछड़ा हुआ है कि इसने राजनीति का पल्ला कभी का छोड़ा हुआ है। अगर आर्यसमाज किसी प्रकार भी राजनीति को अपना सके तो इसके सब कार्यक्रमों में जान आ सकती है, इसमें पुनः प्राणप्रतिष्ठा हो सकती है, तब युवकों का फिर से आर्यसमाज केन्द्र बन सकती है।

यह पूछा जा सकता है कि आर्यसमाज को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता ही क्या है? कोई सस्था सदा बनी रहे, यह कोई आवश्यक बात नहीं। अगर वह जनता को अपील करती है, तो रहेगी, नहीं करती तो खत्म हो जायेगी। क्या आवश्यकता है कि सिर्फ आर्यसमाज को पुनर्जीवित करने के लिए आर्यसमाज के साथ राजनीति का पल्ला बांधा जाये। अगर राजनीति के बगैर आर्यसमाज जिंदा रह सकती है, तो जिये, नहीं रह सकती, तो समाप्त हो जाये। इस दृष्टि से तो हरेक धार्मिक सस्था को जिंदा रखने के लिए उसके अनुयायी उसका राजनीति के साथ पल्ला बाँधने जगेंगे और फिर धार्मिक बसेड़े खड़े हो जायेंगे। इसका उत्तर यही है कि आर्य-समाज केवल धार्मिक-सस्था नहीं नहीं है। आर्यसमाज राजनीति में भाग ले, सिर्फ इस दृष्टि से मैं नहीं कहता कि आर्यसमाज केवल धार्मिक-सस्था नहीं है, परन्तु आर्यसमाज के सभी नेता सदा से आर्यसमाज के चौमुँहों कार्यक्रम पर बल देते रहे हैं। आर्यसमाज का धार्मिक प्रोग्राम है, और बड़ा जबरदस्त है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, परन्तु धार्मिक कार्यक्रम के साथ-२ आर्यसमाज का सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम भी है। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ-प्रकाश में जो कुछ लिखा है वह सब आर्य-समाज का कार्यक्रम है। मैं आर्यसमाज को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं कहता कि वह राजनीति में भाग

ले, परन्तु मैं तो यह कहता हूँ कि आर्यसमाज अपने चौमुखे प्रोग्राम को अपने हाथ में ले। क्या कारण है कि हम केवल ईश्वर, जीव, प्रकृति तक ही अपने को सीमित रखे ? हमारे कार्यक्रम में यह क्यों नहीं आता कि म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, एसेम्बली के सदस्य आर्य समाजी विचारों के हों जो शीघ्र से शीघ्र आर्यसमाज के सांस्कृतिक, सामाजिक, चारित्रिक तथा शिक्षा सम्बन्धी विचारों को क्रिया रूप में परिणत करे। हिन्दु, सिख, ईसाई, मुसलमान तो हैं ही सिर्फ धार्मिक सत्थाएँ, उस दृष्टि से आर्यसमाज सिर्फ धार्मिक सत्था नहीं है, अगर ही ही गई, तो इसके रूप को बदलना आवश्यक है। हमें इस बात को समझना होगा कि आर्यसमाज ने अग्रजों के काल में अपने बचाव के लिए सिर्फ धार्मिक सत्था होने के रूप को धारण किया था, अरुल में ऋषि दयानन्द ने इसे यह रूप नहीं दिया था। ऋषि दयानन्द का मन्तव्य एक ऐसी सत्था उत्पन्न करना था जो चौमुखा कार्य कर, चौमुखी लड़ाई लड़े, और किसी क्षेत्र से अपने को अलग न रखे। हाँ, यह प्रश्न जरूर बना रह जाता है कि जब आर्य समाज का धार्मिक कार्यक्रम भी है, तब वह अगर राजनीति में प्रवेश करेगी तो अपने धार्मिक प्रोग्राम को भी प्रचलित करेगी और इस अवस्था में यह एक साम्प्रदायिक कार्य हो जाएगा।

इसी समस्या का हल करने के लिए ऋषि दयानन्द ने अपने श्रयो में तीन सभाओं का वर्णन किया है। 'धर्मार्थ सभा', 'विद्यार्थ सभा', 'राजार्थ सभा' कोई समय था जब आर्य समाज सामूहिक रूप से तीनों सभाओं का कार्य करता था। आर्य समाज की अन्तरंग सभा ही जलसे करती थी, प्रचार करती थी, उपदेश कराती थी, वही स्कूल-कालेज खोलती थी, गुरुकुल खोलती थी, वही समय पढ़ने पर राजनैतिक प्रश्नों का भी हल कर देती थी। पहले-पहल आर्य-समाज की दिक्कत पेश आयी। देश में विदेशी लोग शासन कर रहे थे, परन्तु ऋषि दयानन्द ने घोषणा की थी विदेशी राज्य कितना ही अच्छा हो वह देशी राज्य का स्थान नहीं ले सकता। आर्य समाजी क्या करते ? उन्होंने पेट पालने के लिए रोटी भी कमाना थी, विदेशियों की नौकरी भी करना थी, उन्हें वे अपना शत्रु भी समझते थे। इस दुविधा में से निकलने का सबसे उत्तम उपाय तो यह था कि वे 'राजार्थ-सभा' की स्थापना कर देते, और जो आर्य-समाजी दम-खम वाले होते, वे 'राजार्थ-सभा' के सदस्य होकर उसके नाम से विदेशियों से टक्कर लेते, जो इस दिशा में कार्य न कर सकते, वे 'धर्मार्थ-सभा' तथा विद्यार्थ सभा के सदस्य रह कर उसके द्वारा अपना सेवा-कार्य जारी रखते। उस समय के आर्य-नेताओं ने सोचा होगा कि विदेशी लोग 'राजार्थ-सभा'

के नाम से भी चिह्नें, और उसके बहाने धार्यसमाज का कार्य नहीं चलने देगे, इसलिए उन्होंने राजनीति को सामयिक तौर पर अलग कर दिया, और अपना कार्य सिर्फ प्रचार करने तथा स्कूल-कालेज-गुरुकुल खोलने जो 'धर्मार्थ-सभा' 'विद्यार्थ-सभा' के कार्य थे वही तक परिमित कर दिया । जब गुरु-गुरु मे 'धर्मार्थ-सभा' तथा 'विद्यार्थ-सभा' की अलग-२ स्थापना भी नहीं की गई थी, बहुत पीछे जाकर, जब धर्म-प्रचार और विद्या-प्रचार के कार्य बहुत बढ़ गये तब किसी-१ प्रतिनिधि-सभा ने अपने क्षेत्र मे दो सभाएं बनाई, और भिन्न-२ रुचि के अनुसार कोई 'धर्मार्थ-सभा' और कोई 'विद्यार्थ-सभा' मे कार्य करने लगे । क्योंकि किसी भी सस्था के पिछले इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता इसलिये यह बात तो ठीक है कि धार्यसमाज सांस्कृतिक-रूप से राजनीति मे क्योंकि अब तक भाग नहीं लेता रहा, तो अब भी न ले, परन्तु जिस प्रकार धार्य समाज ने अपने प्रचार-कार्य के लिए 'धर्मार्थ-सभाओं' की स्थापना की है, जिस प्रकार उसने अपने शिक्षा-सम्बन्धी कार्य के लिए 'विद्यार्थ सभाओं' की स्थापना की है, उसी प्रकार अपने शुद्ध सांस्कृतिक तथा शिक्षा कार्यों को सशक्त बनाने के लिए 'राज्य-सभा' की स्थापना करके राजनीति मे भाग क्यों न ले ?

जैसा ऊपर कहा गया है, राज्य सभा का काम धार्यसमाज के सांस्कृतिक तथा शिक्षा सबंधी दृष्टिकोण को राज-शक्ति का सहारा देना होगा । राज्य-सभा की स्थापना करते हुए धार्यसमाज को यह तो निश्चित कर लेना होगा कि राज्य-सभा के तत्वावधान मे जो धार्यसमाजी एसेम्बलियो तथा पार्लियामेंट मे चुने जायेंगे उन्हें यह समझ कर ही जाना होगा कि इस देश मे हिन्दु, मुस्लिमान, ईसाई आदि सभी-धर्मों के लोगो को रहना है, सभी को अपने-अपने धर्म की स्वतन्त्रता होगी, राज्य की तरफ से किसी के धर्म मे हस्तक्षेप नहीं होगा, परन्तु जहा तक सस्कृति का तथा शिक्षा का सबंध है वहा तक धार्यसमाज की शक्ति से चुने हुए सदस्यो को पूरे बल से इस बात का प्रयत्न करना होगा कि इस देश की सस्कृति का निर्माण तथा विकास पाश्चात्य ढंग से न हो, इस देश की शिक्षा का विकास इस प्रकार से हो जिससे हमारे देश के युवक इस देश की सस्कृति के रंग मे रंगे हो । देश का आर्थिक निर्माण तथा सांस्कृतिक-निर्माण—ये दो बातें हैं जिस पर भिन्न-भिन्न सगठन भिन्न-भिन्न प्रकार से बल देते हैं । आर्थिक-निर्माण पर बल देने वाले अपने को यही तक सीमित रखते हैं कि सब को भर पेट खाना मिले, पहनने को कपडा मिले, रहने को मकान मिले, आर्थिक-विषमता दूर हो, कोई बहुत अमीर, कोई बहुत गरीब न हो । इससे आगे देश का क्या होता है, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं । जितनी राजनैतिक-सस्थाएँ हैं, वे यही अपना

कार्य-क्षेत्र समझती है। परन्तु क्या देश का निर्माण उस इतने से हो जाता है ? खाना मिले, कपडा मिले, मकान मिले, पैसा मिले—इस सब मिलने के बाद रेडियो तथा टेलीवीजन में गन्दे, अश्लील गाने सुनने से मिले, सिनेमा घरों में जवान लड़कियों का नंगा नाच देखने को मिले, बड़े-बड़े घरों के लड़के बन्दूक-पिस्तौल लेकर दिन-दिहाड़े बंको पर डाके डाले, बड़े-छोटे घरों की लड़कियां, बहू-बेटियां जराब घरों में नाच, राग-रग मनाए—इस तरह किस का ध्यान जाता है ? अगर किसी राजनैतिक नेता से पूछा जाय कि रोज-र रेडियो से ये ओ गीत चिघाडा जाता है—“हम तुम एक कमरे में बन्द हो, और चावी खो जाये”—निस गीत को सुनकर याज बच्चा-बच्चा यही तराना उडाता फिरता है, क्या यही देश का निर्माण हो रहा है ? तो नेता जी का इस प्रश्न के सबध में क्या उत्तर है ? अरत में, देश के सामने दोनो विकट समस्याए है—आर्थिक समस्या तथा सांस्कृतिक समस्या। आर्थिक समस्या पर राजनैतिक लोग अपना दिमाग लडाते रहे, इन पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। आर्थिक-आधार पर कांग्रेस, मोघियनिस्ट, कम्यूनिस्ट, जनसंघी—जो भी मैदान में आये ठीक है, परन्तु—क्योंकि देश की समस्या सिर्फ आर्थिक ही नहीं है, सांस्कृतिक भी है, इसलिए भारतीय संस्कृति पर बल देने वाली संस्था—आर्यसमाज—का भी ‘राजार्थ-सभा’ के निर्माण द्वारा राजनैति में प्रवेश करना आवश्यक है। सब आर्य समाजियों के ‘राजार्थ-सभा’ के सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं, सब आर्यसमाजी ‘धर्मार्थ-सभा’ या ‘विद्यार्थ-सभा’ के भी तो सदस्य नहीं है। ‘राजार्थ-सभा’ आर्यसमाज का राजनैतिक पक्ष होगा जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसेम्बलियों तथा पार्लियामेंट में इस घोषित उद्देश्य से प्रवेश करना होगा कि वे देश का निर्माण करने में भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण को पुष्ट तथा क्रियात्मक रूप देने में राजनैतिक-शक्ति का सहारा चाहेगे। अगर कोई कहे कि रेडियो पर गंदे गीत गाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सिनेमा में नंगा नाच करने तथा दिखाने की छूट होनी चाहिए, अगर कोई कहे कि यूरोप की तरह लड़के-लड़कियों को विवाह के पूर्व यौन-संबध करने की आज्ञा दी होनी चाहिये, तो कहने दो उन्हें, यह सब तो हो ही रहा है, परन्तु ऐसेम्बलियों तथा पार्लियामेंट में ऐसे लोगों का रहना भी जरूरी है, जिनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक समस्या का हल करना न होकर इस नारकीय विचारधारा पर लगाम डालना हो। आर्थिक-समस्या का हल करने पर तो सभी लगे हुए है, इतना के लगे होने पर वह तो कभी-न-कभी हल होगी ही, परन्तु सांस्कृतिक-चारित्रिक-भविष्य के युवा-युवतियों के जीवन-निर्माण की समस्या पर किसका ध्यान है ? यही समझ जा रहा है कि सब को भरपेट खाने को मिल जाय, अमीर-गरीब का भेद मिट जाय, तो देश में स्वर्ग उतर प्रायेगा। यह कोई

नही सोचता कि खाने-पीने वाले, मकान-महल वाले सब भौतिक सुख-संपदा पाकर भी अगर चरित्र खो बैठे, तो सब कुछ पाकर भी कुछ न पा सके। आज इस चरित्र पर किसी राजनैतिक नेता का ध्यान नहीं जाता क्योंकि उनका अपना चरित्र ही डावाडोल है। इसी चरित्र-निर्माण को—जिसे मैंने सांस्कृतिक दृष्टिकोण कहा है—भारतीय राजनीति में उच्च-शिक्षर पर ला बैठालने के लिये आर्यसमाज द्वारा 'राजार्य-सभा' के संगठन की आवश्यकता है जिसके तत्वावधान में चुने-जाकर हमारे प्रतिनिधि देश की विधानसभाओं में इस नए दृष्टिकोण की हल चल मचा दे, ठीक ऐसी हलचल मचा दे जैसे कम्युनिस्ट कम्युनिज्म की, सोशियलिस्ट सोशियलिज्म की हलचल मचाया करते हैं। चरित्र निर्माण के इस पक्ष को विधान-सभाओं तथा सदन में आग की लपटों की तरह जगा देना 'राजार्य-सभा' के तत्वावधान में चुने गए सदस्यों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिये।

अब प्रश्न यह रह जाता है कि चरित्र-सम्बन्धी सदाचार की जो बातें हम ने लिखी हैं जिन्हें हमने भारतीय संस्कृति का नाम दिया है उन्हें तो सब कोई मानते हैं, भारत में ही क्या सब देशों में मानते हैं, फिर उन्हें भारतीय-संस्कृति क्यों कहा जाय, और उसके लिए आर्यसमाज को ही क्यों राजनीति में प्रवेश करने की जरूरत हो। यह ठीक है कि सब देश वैयक्तिक तथा सामाजिक चरित्र की भी बात करते हैं, परन्तु बात ही तो करते हैं, चलती बात करते हैं व्यवहार में चरित्र कहा है? हमारी राजनीति ऋषि दयानन्द या महात्मा गांधी की राजनीति नहीं है। यह ठीक है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, सब कोई इसे मानते हैं, परन्तु पब्लिक में शराब न पीने को लेकर भाड़कर प्राइवेट में वे इसकी बोतलों पर बोतले खाली कर देते हैं, यह ठीक है कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, इसे वे भी उच्च-धोखा स्वीकार करते हैं, परन्तु रिश्वत ले-लेकर उनके बैंक के खाते दिनों-दिन बढ़ते जाते हैं, यह ठीक है कि सरकार का काम नवयुवकों तथा नवयुवतियों के लिए ऐसा सामाजिक वातावरण उत्पन्न करना है जिससे उनके चरित्र का निर्माण हो, परन्तु सरकार द्वारा संचालित रेडियो तथा टेलीवीजन में गन्दे, अश्लील गाने तथा दृश्य रोज़ दिखलाये जाते हैं, यह ठीक है कि अमोद-प्रमोद के लिए जनता को सिनेमा-नाटक की जरूरत है, परन्तु इन्हीं सिनेमा-नाटकों को देखकर हमारे युवक युवतियों का अपहरण करना, बैंकों की डकैतियाँ आदि सीख जाते हैं परन्तु राजनैतिक नेताओं के आर्थिक-समस्याओं में ही उलझे रहने के कारण इधर किसी का ध्यान नहीं जाता, यह ठीक है कि पिछले २५ साल से हर विधान-सभा में, शिक्षा-सुधार की रट लगाई जाती है, जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ उस दिन जो बच्चा पैदा हुआ वह आज स्वयं बच्चे

का बाप हो चुका है, परन्तु हमारी शिक्षा का रूप आज भी जहाँ का तहाँ सड़ा है। क्या इस सब का यह अर्थ नहीं कि हमारे राजनैतिक क्षितिज में एक भूचाल लाने की जरूरत है, राजनैतिक क्षेत्र में ऐसे लोगों के प्रवेश करने की आवश्यकता है तो अमीरी गरीबी की समस्या को हल करने के लिए हमारे नेता कितना जोर लगा रहे हैं उन्हें तो उतना जोर लगाने ही दे परन्तु उसके साथ देश के सांस्कृतिक-निर्माण, चारित्रिक उत्थान की आवाज भी उसी तरह बुलन्द करते रहें। आज सस्कृति का अर्थ नाचना-गाना समझा जाता है। हमारे देश से सांस्कृतिक-दल विदेशों में भेजे जाते हैं, विदेशों से सांस्कृतिक-मडलियाँ हमारे देश में आती हैं। ये सांस्कृतिक-मिशन क्या होते हैं? नाचने-गाने वालों के समूह होते हैं। ये इस सारे दृष्टिकोण को बदलना होगा। कोई युग था जब अशोक ने सांस्कृतिक मिशन देश-विदेश भेजे थे। आज तक उनकी छाप लका, बर्मा, चीन, जापान, इंडोनेशिया में मौजूद है। अशोक-चक्र को हमने अपना राष्ट्रीय चिन्ह माना है। क्या अशोक ने नाचने-गाने वाले विदेश भेजे थे? हमारे किस राजनैतिक नेता का सांस्कृतिक के इस पक्ष की तरफ ध्यान है? अगर हमने सब आर्थिक समस्याओं का हल कर लिया, अमीर-गरीब का भेद मिटा दिया, समाजवाद की छाया में सारा देश आ गया, परन्तु समाजवादी आर्थिक समस्याओं से मुक्त होकर चैन की बसी बजाते हुए घर में बैठ कर शराब की बोतलें उडेलने लगे, नाच-गाने में मस्त रहने लगे, रेडियो, टेलीविजन ही देखते रहे, तो उनकी सिर्फ आर्थिक-समस्या ही तो हल हुई उन्होंने इसानियत का सवाल तो नहीं हल किया। हमारे कथन का यह अर्थ नहीं है कि हमारी राजनीति में चरित्र को, हमारी सस्कृति को कोई स्थान नहीं है, है—परन्तु आवाजान्तर रूप से है, जो कुछ है, वह न होने के बराबर है, कभी-२ उससे चरित्र का विनाश भी हो रहा है। इस राजनीति में चरित्र का जबरदस्त पुट देने की आवश्यकता है, बिना चरित्र का पुट दिये हमारी राजनीति फल हुई जाती है, हम जिस राजनीतिक या आर्थिक सगठन की रचना करते हैं उसी में साथ-२ भ्रष्टाचार के बीज पनपते जाते हैं क्योंकि चारित्रिक-निर्माण की तरफ हमारा ध्यान नहीं है।

यह ठीक है कि इने-गिने आर्य-समाजियों के विधान-सभाओं या ससद में आ जाने से देश में नैतिक परिवर्तन नहीं हो जाएगा। परन्तु इस में सदेह नहीं कि जो नैतिकता के, सस्कृति के, चरित्र के नारे को लेकर चुने जायेंगे, वे बीस-तीस भी होंगे, तो देश की राजनीति को नैतिक मोड़ दे सकेंगे। अब तो वहाँ कोई इस आवाज को उठाने वाला ही नहीं है। जो कोई आर्य समाजी वहाँ जाते हैं, वे केवल आर्यसमाज पर नहीं जाते, किसी पार्टी विशेष के बल पर जाते हैं

और इसलिए अपने को उस पार्टी का पहले, और आर्यसमाज का पीछे मानने लगते हैं। यह कहा जा सकता है कि यह काम आर्यसमाज ही क्यों करे, यह तो सब-किसी के करने की बात है। ठीक है, सब-किसी के करने की बात है परन्तु करता तो कोई नहीं। आर्य समाज सदा से इस दिशा में काम करता रहा है, अपनी नींव पडने के दिन से करता रहा है, इसलिए आज जब हम इस सस्था की नींव पडने की शताब्दी मनाने जा रहे हैं, तब आर्यसमाज की गति-विधि को व्यापक बनाने के लिए, देश के हित के लिए यह घोषित कर देना चाहिए कि आर्य समाज गाव-२, जिले-२, प्रांत-२ में 'राज्य-सभा' का संगठन बनावेगी, उस संगठन द्वारा सीधे देश की राजनीति में प्रवेश करेगी, उसका उद्देश्य राज्य-शक्ति के माध्यम से भारतीय-संस्कृति का प्रचार करना होगा, युवको तथा युवतियो के चरित्र का निर्माण करना होगा, शिक्षा-संस्थाओ का भारतीय दृष्टि-कोण से सुधार करना होगा, रेडियो-टेलीविजन-सिनेमा-नाटक आदि में अश्लीलता का लोप करना होगा, यह सब कुछ करते हुए वह किसी के धर्म-विशेष में हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि उसका उद्देश्य एक परिमित सीमा में बंधा हुआ होगा, ऐसी सीमा में बंधा होगा जिसका-चरित्र निर्माण-का हिन्दु, मुसलमान, ईसाई, मुसाई, काफ़ेसी, नान-काफ़ेसी, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट सभी अनुभव करते हैं, परन्तु जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, परन्तु जिस ध्यान न देने के कारण देश आगे बढ़ता-२ पीछे खिसकता जाता है, जिस ध्यान न देने के कारण हमारा सब किया-कराया मिट्टी में मिला जाता है। यह काम आर्य समाज ही कर सकता है, और आज इस काम के करने का समय आ गया है।

स्मारिका दिस० १९७५ से साभार।

राष्ट्रभाषा सम्मेलन या अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन ?

छे० आ० वेदप्रताप वैदिक

भाषा के प्रश्न पर आर्य समाज को नये सिरे से विचार करने की जरूरत है। हम यह देख रहे हैं कि आर्य समाज के हर बड़े उत्सव पर राष्ट्रभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है तथा आर्य समाज के अलावा अन्य कई संस्थाएँ भी हिन्दी या राष्ट्रभाषा के प्रचार के लिए कटिबद्ध हैं तथापि स्वतन्त्र भारत में हिन्दी का प्रभाव दिनोदिन गिरता जा रहा है। इसका क्या कारण है ? इस कारण को यदि नहीं खोजा गया तो अगले हजार बरस तक राष्ट्रभाषा सम्मेलन करने के उपरान्त भी हिन्दी अपने स्थान से एक अंगुल आगे नहीं बढ़ेगी।

वास्तव में राष्ट्रभाषा का प्रचारक यह नहीं जानता कि उसका असली दुश्मन कौन है ? यह है-अंग्रेजी। जब तक अंग्रेजी का दबदबा खत्म नहीं किया जायेगा, हिन्दी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। हम लोग हिन्दी चलाने की बात करते हैं कि अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की पाठशालाओं में भेजना पड़ता है, नौकरी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल करना पड़ता है और देश में चलने वाला सारा ऊँचा काम-काज अंग्रेजी में होता है। अब आप हिन्दी की जय बोलते रहिये लेकिन हिन्दी जहा है, वही रहेगी।

आज हिन्दी को चलाने के बजाय अंग्रेजी को हटाने की जरूरत है। अंग्रेजी हटाओ का मतलब यह कतई नहीं है कि हमें अंग्रेजी से नफरत है। किसी भी भाषा या साहित्य में कोई मूर्ख ही नफरत कर सकता है, यदि कोई स्वेच्छया से अंग्रेजी या दुनिया की अन्य भाषाएँ पढ़ना चाहे, उनके माध्यम से ज्ञान का दोहन करना चाहे तो हमें प्रसन्नता ही होगी। लेकिन आपत्ति तब उपस्थित होती है जब ज्ञान के एक साधन को रूतबे का, विशेषाधिकार का, शोषण का हथियार बना लिया जाय।

अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन अंग्रेजी का नहीं, बल्कि उसके स्तबे का, विशेषाधिकार का, उसकी शोषणकारी प्रवृत्ति का विरोधी है। इसलिए हमने कहा 'अंग्रेजी हटाओ' हमने यह कभी नहीं कहा कि 'अंग्रेजी मिटाओ'। अब सवाल यह है कि अंग्रेजी कहा से हटे ? न्यायालय से हटे, राजकाम से हटे, कारखानों से हटे, फौज से हटे, अस्पताल से हटे, पाठशाला प्रयोगशाला से हटे, घर-द्वार-बाजार से हटे। हट कर कहा जाए ? पुस्तकालयों में जाए, विदेशी भाषा-शिक्षण संस्थानों में जाए। वही भी सारी जगह घेरकर पसरे नहीं। दुनिया की अन्य भाषाओं के लिए भी थोड़ी-थोड़ी जगह खाली करे। हटना उसे सभी जगह से पड़ेगा। कहीं से थोड़ा, कहीं से ज्यादा।

सुधियाना के कुछ आर्य समाजी बंधुओं ने मुझ से कहा कि 'अंग्रेजी हटाओ' में निषेधात्मकता की गंध आती है। यह 'निषेध' नारा है। मैंने पूछा, अहिंसा क्या है, अस्तेय क्या है, अपरिग्रह क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है ? क्या ये सब निषेध के सिद्धांत नहीं हैं ? आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द ने पाखंड-खडिनी पताका फहराकर बुराइयों को टक्कर मारकर गिराने का जो साहस पैदा किया, क्या वह निषेधात्मक नहीं है ? सत्यार्थ प्रकाश के आखिरी चार समुल्लासों में क्या स्वामी जी ने पाखंडों को बेरहमी से नहीं डहाया है ? महात्मा गांधी का 'असहयोग' क्या था ? इंदिरा गांधी का 'गरीबी हटाओ' क्या है ? यह नारा निषेधात्मक ही नहीं है, बल्कि 'अंग्रेजी हटाओ' की भोंडी-सी नकल भी है, (क्योंकि गरीबी तो मिटाई जानी चाहिए।) निषेध से डरिये मत। सृष्टि के नियम को समझिए। बिना ध्वंस के निर्माण नहीं हो सकता। छोटा-सा मकान भी बनाना हो तो नींव खोदनी पड़ती है। जो खुदाई के डर से नींव नहीं डालता, उसके मकान का अजाम क्या होगा ? वही होगा जो पिछले पच्चीस वर्षों में हिंदी का हुआ। हिंदी वाले लोग अंग्रेजी को हटाये बिना हिंदी को लाना चाहते थे। नतीजा क्या हुआ ? अंग्रेजी अपने स्थान पर जमी रही और हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में एक नकली लड़ाई चल पड़ी। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन इस नकली लड़ाई का विरोध करेगा। वह समस्त भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी के वर्चस्व के विरुद्ध एक संशक्त चट्टान की तरह खड़ा करना चाहता है। जब तक अंग्रेजी नहीं हटती, भारतीय भाषाएँ एक नहीं होंगी।

अंग्रेजी हटाओ आंदोलन और हिंदी चलाओ आंदोलन में भी बुनियादी फर्क है। हिंदी आंदोलन वाले लोग चाहते हैं कि अंग्रेजी का स्थान हिंदी ले ले।

उन्हे इस बात की चिन्ता नहीं है कि अंग्रेजी की तरह हिंदी भी शोषण का, विशेषाधिकार का और स्तब्ध का हथियार बन सकती है। अगर हिंदी के आने का नतीजा यह हो कि अन्य भाषा वालों के लिए नौकरियों का, अवसरों का, आगे बढ़ने का मार्ग दुर्गम हो जाए जो फिर हिंदी को लाने से फायदा क्या हुआ ? वह भी अंग्रेजी की तरह देश में गैर-बराबरी को बढ़ाएगी। फर्क इतना होगा कि आज अंग्रेजी के कारण जहाँ दो प्रतिशत लोग सारे देश को रौंद रहे हैं, वहाँ ३० प्रतिशत लोग बाकी ७० प्रतिशत लोगों के साथ अन्याय करेंगे। आर्य समाजियों को हर अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए। चाहे वह छोटा हो या बड़ा। मैं नहीं चाहता कि मेरी मातृभाषा वही घिनौना कार्य करे जो कि अंग्रेजी कर रही है। इसीलिए हम सारे देश में हिंदी को धोपने के विरोधी हैं।

इसका मतलब यह नहीं है कि हमने सारे देश को जोड़ने वाली भाषा के सवाल पर विचार नहीं किया है। सारे देश को जोड़ने वाली भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है। लेकिन इस काम के लिए हिंदी सबसे अधिक अनुकूल भाषा होगी क्योंकि किसी भी एक भाषा की तुलना में इसके बोलने वाले सबसे ज्यादा हैं, इसकी लिपि—देवनागरी—सरल और वैज्ञानिक है तथा यह भाषा भारत के सबसे बड़े इलाके में बोली जाती है। जहाँ तक हिंदी देश की सारी भाषाओं को जोड़ती है, वहाँ तक हिंदी को लाने में हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हिंदी अन्य भाषाओं का हक मारे, यह उचित नहीं है। हर प्रदेश में, उस प्रदेश की भाषा पुरी तरह से चलनी चाहिए। केंद्र में भी प्रदेशों से आने वाले लोगों की अपनी-२ भाषा के जरिये नौकरी पाने, ससद में बोलने, न्याय पाने और शिक्षा पाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। उन्नति के अवसरों में हिंदी को आड़े नहीं आना चाहिए। हिंदी का काम केवल विभिन्न भाषा-भाषियों के बीच सर्क स्थापित करना है। केंद्रीय सरकार और केंद्रीय संस्थाओं का अपने तई सारा काम काज केवल हिंदी में चल सकता है, चलना चाहिए। लेकिन प्रदेशों से उनकी भाषा में आने वाले पत्रों को केंद्र के द्वारा न केवल स्वीकार किया जाना चाहिए बल्कि उन्हीं की भाषा में उन पत्रों का जवाब दिया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति, संस्था या प्रादेशिक सरकार को इसलिए घाटे में नहीं रखा जाना चाहिए कि वह हिंदी में प्रवीण नहीं है।

इस कार्य को कम खर्चीला और सुगम बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हर सरकारी विभाग के साथ कुछ अनुवादक सलमन कर दिये जायें। ऐसे

अनुवादक भी हो सकते हैं, जो कि तीन-२ चार-२, पाच-२ भाषाएँ एक साथ जानते हों। इन अनुवादकों पर होने वाला खर्च अनिवार्य अंग्रेजी को चलाए रखने के लिए होने वाले खर्च से निश्चित रूप से कम होगा।

सोवियत संघ और यूरोप के उन देशों में जहाँ अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं वहाँ ऐसा ही किया जाता है। कोई भी देश अनुवाद के खर्च के डर से किसी विदेशी भाषा को अपने प्राप पर नहीं लादता। देशी भाषाओं की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि एक होने के कारण उनमें परस्पर अनुवाद करना इतना सरल होता है कि कुछ ही वर्षों में बहुत से लोग अपने प्राप कई भाषाएँ सीख जाते हैं और फिर अनुवादकों की जरूरत नहीं रहती, जैसा कि स्वीटजरलैंड और युगोस्लाविया में हुआ है।

इस बात पर आपत्ति की जा सकती है कि सरकार अपना समय राज-काज में लगाये या वह इन भाषाओं के चक्कर में पड़ जाए। मैं पूछता हूँ कि अगर जनता से सीधे उसकी जुबान में उसके दुःख दर्द नहीं सुनोगे और सीधे उसकी जुबान में उसकी समस्याओं का समाधान नहीं दोगे तो अच्छा और सच्चा राज-काज कैसे चलाओगे ? नकली समस्याओं और उनके नकली समाधानों का राज-काज तो इस देश में पिछले पच्चीस साल से चल ही रहा है। अगर आप देश के एक औसत आदमी को यह विश्वास दिलायेंगे कि बड़े से बड़े स्तर पर भी उसकी भाषा को नीचा नहीं देखना पड़ेगा तो काम-चलाउ हिंदी सीखने में उसे जरा भी एतराज नहीं होगा। आज दक्षिण का आदमी हिंदी का विरोध क्यों करता है ? सिर्फ इसलिए कि उसे डर है कि उसकी नौकरिया चली जाएंगी। वह अवसरों की दौड़ में पिछड़ जायेगा। हिंदी आंदोलन ने 'हिंदी-हिंदी' चिल्लाकर इस डर को बढ़ाया है इस डर को पुस्ता तौर पर खत्म किया जाना चाहिए। यह डर तभी खत्म होगा जब कि अंग्रेजी हटेगी। अंग्रेजी हटेगी तो उत्तर भारत के लोग दक्षिण की भाषाएँ सीखेंगे। अंग्रेजी रहती है तो उत्तर भारत के लोग सोचते हैं कि तमिल, तेलुगु, कन्नड, कलयालम सीखकर क्या करेंगे ? अंग्रेजी में ही बात कर लेंगे। इसी प्रकार दक्षिण वाले भी सोचते हैं। जब अंग्रेजी में काम चल जाता है तो हिंदी क्यों सीखें ? इस प्रकार अंग्रेजी की कृपा से उत्तर-दक्षिण के बीच सच्चा मेल-मिलाप ही नहीं होता। अंग्रेजी के जरिये जो नकली मेल-मिलाप होता है, वह भी कितने लोगों का ? २ प्रतिशत लोगों का भी नहीं। इन्हीं दो प्रतिशत लोगों का काम चल रहा है। बाकी ९८ प्रतिशत लोगों का काम ठप्प है। उनके

जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरे वाले लोगों में दक्षिण और उत्तर की सभी साधारण जनता शामिल है। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन देश के करोड़ों लोगों को अंधेरे से उजाले की ओर ले जायेगा। वह उत्तर और दक्षिण में, पूरब और पश्चिम में कोई भेद नहीं करेगा। उसके लिए सारे देश की गरीब-ग्रामीण, दमित, पीड़ित, विपन्न जनता एक है। वह इस सामान्य जनता की भाषाओं को आगे लायेगा और एक छोटे से छोटे आदमी के दिल में भी यह अहसास पैदा करेगा कि वह अपनी भाषा के जरिये बड़े से बड़े पद पर पहुँच सकता है। इसी आधार पर मैं कहता हूँ कि अंग्रेजी हटाओ मनुष्य मात्र को मुक्ति का आंदोलन है।

इस संक्षिप्त लेख में मैंने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन पर मोटे तौर से विचार किया है। (इस विषय पर मेरे विचार विस्तार पूर्वक जानने के लिए पढ़िये—“अंग्रेजी हटाओ . क्यों और कैसे ? पुस्तक”) अच्छा तो यह हो कि अपनी जन्म शताब्दी के अवसर पर आर्य समाज अंग्रेजी हटाओ आंदोलन को सारे देश में फैलाने का सकल्प करे। शुरू शुरू में चार-पाच बड़े-बड़े काम किये जायें। जैसे .

- १ सच तथा प्रादेशिक लोक-सेवा आयोगों की परीक्षा से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करवाये।
- २ अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों को बंद करवाये।
- ३ स्कूलों और कालेजों में अंग्रेजी की अनिवार्य पढाई खत्म करवाये।
- ४, न्यायालयों और विधान सभाओं में अंग्रेजी के प्रयोग को अवैधानिक घोषित कराये।
- ५ बाजारों और घरों पर लगे अंग्रेजी नामपटों को पोते।

इन सब कार्यों को करने के लिए आर्य समाज को पत्र-व्यवहार, वार्ता, प्रचार, प्रदर्शन, सत्याग्रह, धरना, धरतल तथा अन्य अहिंसक कार्यों के लिए तैयार होना पड़ेगा। हैदराबाद और पंजाब के सत्याग्रहों की भावना को जगाना होगा। यदि आर्य समाज इस महत् कार्य का बोझ अपने कंधों पर उठा ले तो एक बार फिर लाखों नौजवान उसके आक्रोश में आ जायेंगे।

स्मारिका दिस० १९७५ में साभार।

सृष्टि जब तक है अमर हो तुम तुम्हारे गान तुलसी!

छे०—डा० अम्बिका प्रसाद वाजपेयी

एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट०

अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, गुरुकुल कागड़ी विभवविद्यालय
हरिद्वार

प्रत्येक भाषा को गौरव प्रदान करने वाले उसके कवि अथवा साहित्यकार ही होते हैं। हिन्दी भारत की जनभाषा तथा राष्ट्रभाषा है। महर्षि दयानन्द ने भी संस्कृत को अपने प्रचार का माध्यम न बनाया हिन्दी को बनाया था। इसका कारण स्पष्ट है कि संस्कृत को सामान्य जनता न बोलती है और न समझती है अस्तु आर्यसमाज का प्रचार जनता की भाषा में किया जाना उचित था। ताकि उसे सामान्य जन समझ सके। जनता द्वारा प्रयुक्त हिन्दी अवधी, बुजभाषा तथा खड़ीबोली रही है। हिन्दी का अधिकार साहित्य अवधी तथा ब्रजभाषा में लिखा गया है। भारतीय जनता में सबसे अधिक प्रचार तुलसी के काव्य का है। उसमें भी सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रन्थ उनका रामचरित मानस है। मानस की विशेषता यह है कि वह लिखा तो अत्यन्त सरल भाषा में गया है परन्तु उसके भीष्म अत्यन्त गूढ भाव भी भरे हुए हैं। कवि ने अपना सिद्धान्त भी यही रखा था,

यथा—

सरल कवित कीरति बिमल, सोइ आदरहि सुजान।

सहण बपर विसराह रिपु, जो सुनि करहि बरवान।

(रामचरित मानस/बालकाण्ड/१४/दोहा/१)

इसका अर्थ यह है कि बुद्धिमान लोग उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो तथा जिसमें निर्मल चीजों का गायन हो साथ ही जिसे सुनकर शत्रु-गण भी स्वाभाविक शत्रुता को भुलाकर उसकी प्रशंसा करने लगे।

इससे श्रेष्ठ सिद्धांत कदाचित ही किसी कवि का रहा होगा। अन्य कवियों के काव्य का अर्थ समझने के लिए तो विद्वानों की अपेक्षा होती है। परन्तु एक तुलसी का काव्य ही ऐसा है जिसे हिन्दी भाषा का सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी भली प्रकार समझ सकता है। इसके साथ ही बड़े से बड़े विद्वानों के हेतु उसमें प्रकाण्ड पाण्डित्य विद्यमान है।

कवि ने जिस "राम" के चरित्र का गायन किया है उसका उल्लेख वेदों में मिलता है। डा० कामिक बुल्के की "राम कथा" के प्रथम अध्याय में तथा माधवाचार्य कृत "पुराण दिग्दर्शन" के पृष्ठ २६५ पर वेदों से दिए गए उद्धरणों से प्रगट होता है कि उस समय भी दशरथ, सीता और राम के नाम प्रसिद्ध थे। यदि इसे न भी स्वीकार किया जाये और इतिहासकारों के मतानुसार यही माना जाये कि राम का समय वेदों के पश्चात् रहा होगा तो भी उक्त कथन पर आच नहीं आती क्योंकि पहले जिन शब्दों का प्रयोग भाववाचक सजाग्रो के रूप में किया जाता रहा हो उनका प्रयोग बाद में व्यक्तिवाचक सजाग्रो के रूप में किया जा सकता है। अनेक स्थानों एवं व्यक्तियों का नामकरण करते समय आज भी यही परम्परा प्रचलित है। तुलसी ने स्पष्ट लिखा है—

नानापुराण निगमागम सम्मत यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोदधि ।
(बालकाण्ड/७)

इसके साथ ही यह भी उल्लेख किया है—

बदौ चारिउ बेद, भव-करिधि-बोहित सीस ।

जिन्हहि न सपनेहु खेद, बरनत रघुवर विमल जस ॥

(रामचरितमानस/बालकाण्ड/१४/सोरभ/२)

उपर्युक्त सोरठे में कवि का आशय स्पष्ट है कि वेदों में राम का यश नीर्मत है और वेदवाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती।

कवि ने "राम" नाम का चयन वेदसम्मत माँग को अपनाने के लिए किया होगा इसमें कोई सन्देह नहीं। एक स्थल पर उनकी वेद-आस्था इस प्रकार प्रगट हुई है।

बरत घरम नहि आस्रम चारी ।

स्रुति-बिरोध-रत सब नर नारी ॥

(रामचरितमानस/उत्तरकाण्ड/६८/१)

उपर्युक्त प्रसंग में कवि ने स्वाभाविक चार आश्रमों तथा चार वर्णों के महत्त्व को वेदसम्मत पद्धति पर स्वीकार करने की प्रेरणा प्रदान की है जिसमें कर्त्तव्य (या कर्म) की प्रधानता है। उदाहरणार्थ परशुराम के माता-पिता ब्राह्मण होने पर भी कर्म से क्षत्रिय होने के कारण वे राजर्षि कहलाए तथा जन्म से माता-पिता क्षत्रिय होने पर भी कर्म से ब्राह्मण होने के कारण विश्वा-भित्र जी ब्रह्मर्षि कहलाए। वेद के अनुयायी महर्षि दयानन्द ने इसी सिद्धान्त का अनुमोदन किया है। उनके अनुसार मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है।

तुलसी के 'राम' का स्वरूप त्रिभावात्मक है। एक भाव के अनुसार वे अहंकार का त्याग तथा निष्काम भाव के ग्रहण के द्वारा शान्ति प्रदान करते हैं। द्वितीय भाव के द्वारा वे निष्काम भाव से समस्त जगत की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं तथा तृतीय भाव के द्वारा वे एक अनुकरणीय आदर्श चरित्र भी प्रस्तुत करते हैं। क्रम-विपर्यय से कह सकते हैं कि कवि ने राम के द्वारा आदर्श-अनुकरण, लोकसेवा तथा आत्म शान्ति की प्रेरणा प्रदान की है।

तुलसी ने समन्वय के द्वारा अपने काव्य में समस्त श्रेष्ठ विचारों को लाने का प्रयास किया है। इसके लिए भी कवि ने 'राम'-नाम को आधार बनाया है। सगुण तथा निर्गुण दोनों भक्ति पद्धतियों का समन्वय केवल 'राम' नाम के द्वारा कराकर कवि ने अद्वितीय कौशल का परिचय दिया है। कवि का कथन है कि ब्रह्म के दो स्वरूप होते हैं—एक को सगुण कहते हैं तथा दूसरे को निर्गुण। इन दोनों स्वरूपों के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है परन्तु राम का नाम ऐसा है जिसका प्रयोग दोनों ही करते हैं। अस्तु इन दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य रामनाम ही कर सकता है। कवि ने यहाँ तक कहा है कि 'राम' नाम इन दोनों के बीच दुभाषिए का काम करता है।

यथा—

देरिवग्रहि रूप नाम आधीना ।
रूपग्यान नहि नामबिहीना ॥
रूपविसेष नाम बिनु जाने ।
करतलगत न परहि पहिचानें ॥
सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे ।

(२७)

आवत हृदय सने बिसेखे ॥

नाम-रूप-गति अकथ कहानी ।

समुझत सुखद न परति बखानी ॥

अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी ।

उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी ॥

(रामचरितमानस/बालकांड/२१/२-४)

कवि का समन्वय केवल भक्ति के मार्ग तक ही सीमित नहीं है। कवि ने भाषा के क्षेत्र में भी समन्वय स्थापित किया है। भारतीय जनता जिस भाषा को सरलता से समझ सकती है वह भाषा तुलसी के काव्य के अतिरिक्त अन्य किसी महाकवि के काव्य में उपलब्ध नहीं होती। इस दृष्टि से तुलसी सर्वश्रेष्ठ कवि है।

कवि के काव्य की एक अन्य विशेषता उसकी मर्यादा के प्रति अत्यन्त आकर्षण है। समाज की प्रतिष्ठा उसके मर्यादा-पालन पर ही निर्भर है। इसके साथ ही ऐसे साहित्य को ही समाज में आदर प्राप्त होता है जिसमें अश्लीलता न हो। इस दृष्टि से तो यहाँ तक कहा जा सकता है कि तुलसी का काव्य अपनी उपमा नहीं रखता तुलसी के काव्य को पिता पुत्री को पढा सकता है जबकि अन्य महाकवियों के काव्य को पढाना कठिन है। उनमें शृंगार के ऐसे स्थल अवश्य मिल जाते हैं जो मर्यादित नहीं कहे जा सकते जबकि तुलसी के काव्य में एक भी ऐसा स्थल उपलब्ध नहीं होता।

अस्तु हम कह सकते हैं तुलसी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनकी कविता का जितना प्रचार देश-विदेशों में हुआ है उतना हिंदी के किसी दूसरे कवि का नहीं हुआ। अस्तु उनका नाम अमर है।

वैदिक धर्म की विशेषता

छे०—डॉ० हरिवंश पाखीवाल
'निर्भय' पी-एच०डी०

(आज के युग में "आर्य" और "हिंदू" को पर्यायवाची मान लिया गया है। यह मन्तव्य कहाँ तक सही है, यह मतभेद का विषय हो सकता है। सभ्यत क्यो, निश्चय ही आर्यसमाज के अनुयायी इस मत के पोषक नहीं होंगे। कईयों के विचार से "हिन्दू" शब्द आर्यों के लिए मुसलमानों का दिया तथा "काफिर" अर्थ का वाचक है, इसलिए आर्यों के लिए "हिन्दू" शब्द का प्रयोग अनुचित है। पर ये सभी मत अपने-२ वैयक्तिक दृष्टिकोण के निर्देशक हैं। प्रस्तुत लेख में लेखक ने "आर्य" शब्द का बहुत व्यापक अर्थ लेकर उसका क्षेत्र वेदों में आज तक माना है। इस लेख में लेखक ने आर्य धर्म का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है, वह माननीय है।)

आर्यत्व या आर्य धर्म की कोई निश्चित व्याख्या करना तथा उसके आधुनिक दृष्टिकोण और दर्शन को सरल पर सार गभित शब्दों में प्रस्तुत करना कठिन है। इसके कारण की खोज करने के लिए हमें दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई आर्य धर्म ग्रंथ नहीं है जिसके बारे में यह कहा जा सके कि वह आर्य धर्म के आदर्श पर चरमोचित करता है, अथवा आर्य धार्मिक-भावों को पूर्णतया अपने अन्दर समेटे हुए है। ऐसा कोई भी ईशदूत, अवतार अथवा देवी मानव आज तक नहीं हुआ, जिसके बारे में यह कहा जा सके कि वह देवी ज्ञान का एकमात्र व्याख्याता और ईश तथा मनुज के बीच एकमात्र सेतु है। जो आर्य धर्म पर अधिकार पूर्वक अपने विचार व्यक्त करना चाहता है, उसे सर्वप्रथम आर्य धार्मिक साहित्य के सागर का मन्थन करना होगा तथा सामान्य आर्य जीवन में अप्रत्यक्ष रूप से जो भाव अंत प्रोत हैं उन भावों को ग्रहण करने के लिए उस जीवन के निकटतम सम्पर्क में आना होगा।

तथापि जिसका जन्म और लालन पालन एक न्यूनाधिक धार्मिक वृत्ति वाले परिवार में हुआ है, परिणामस्वरूप जिसने आर्य धर्म के भावों को थोड़ा

बहुत जाना और समझा है तथा जो तत्त्वचिन्तन के क्षेत्र में भी प्रवेश पा चुका है, उसके लिए यह संभव है कि वह स्थूल रूप से आर्य धार्मिक वृत्ति को तथा आर्य धर्म के आधार को अभिव्यक्त कर सके। तो भी उसका यह प्रयत्न किन्हीं मर्यादाओं से अवश्य बंधा हुआ रहेगा। साथ ही उसे इस बात को भी स्वीकार करने के लिए तैयार होना होगा कि उसके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में आर्य धर्म-साहित्य के रथी और धर्म तत्त्व के विशेषज्ञों द्वारा सशोधन भी किए जा सकते हैं। मतलब यह कि वह अपने विचारों को अन्तिम मानकर यह आग्रह न करे उसके विचारों को सभी लोग स्वीकार करें। कहने की आवश्यकता नहीं, कि इस लेख का लेखक अपनी मर्यादाओं को स्वीकार करता है और अपने लेख में सशोधन की संभावनाओं को भी स्वीकार करता हुआ खुले दिल से सशोधन के लिए अपने निबन्ध को प्रस्तुत करता है।

कुछ लोगों ने आर्य धर्म को नास्तिकता से पूर्ण भोगवादी बताया, तो किसी ने उसके मूर्तिपूजा के पक्ष को लेकर उसकी आलोचना की, तो कुछ ने उस धर्म पर तथाकथित निराशावाद, भ्राम्यवाद तथा भ्रममण्यतावाद का आरोप लगाकर उस धर्म के विरुद्ध अपनी धारणाओं को प्रकट किया तथा आर्य धर्म के प्रति अबमानपूर्ण विचार भी व्यक्त किए। पर आर्य धर्म पर उपरोक्त सभी आलोचनाएँ जहाँ तहाँ से प्राप्त तथा असन्तोषजनक रीति से विखरील तथ्यों पर ही आधारित होती हैं। ऐसे समय आलोचक यह भी भूल जाते हैं कि प्राणमय जीवन दर्शन किसी एक विशिष्ट जाति, युग या देश की सम्पत्ति नहीं होता, बल्कि ऐसा जीवनदर्शन सर्वत्र और सब समय जन्म लेता रहता है। कोई व्यवस्था हर दृष्टि से पूर्ण तथा व्यापक नहीं हो सकती। हर व्यवस्था में अभावों की संभावना अवश्य रहती है। पर साथ ही यह भी सत्य है कि किसी संस्था या धर्म में कितने भी दोष हों, तो भी उसमें ऐसे अनेक मूल्यवान् तत्त्व अवश्य रहते हैं कि जिनके कारण उस संस्था या धर्म की कीमत पहचानी जा सकती है। केवल थोड़े से-दोष के कारण किसी संस्था या धर्म की सर्वतोमुखी निन्दा अनुचित और आलोचक के सकुचित मनोवृत्ति का द्योतक है। आर्यधर्म के पक्ष में यह बात तो नितान्त सत्य है कि यह धर्म अत्यन्त उदार है, यह मानवता की विशालता तथा सत्य की अनेक पक्षीयता में विश्वास करता है। (सत्य का एक ही पक्ष मानना सत्य को सकुचित बनाना है, जबकि सच्चाई यह है कि सत्य हमेशा बृहत् ही होता है।) आर्य धर्म कभी भी कतिपय जड़-सिद्धान्तों की सीमा में कूठिन नहीं होता, अपितु सदा नूतन व्यवस्थाओं, नये समीकरणों एवं मौलिक-जीवनदर्शनों का स्वागत करने के लिए सदा तत्पर रहता है। इसी कारण इस आर्यधर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है। अर्थात् यह वह धर्म

है जो सदा से है और सदा रहेगा। इसका सनातनत्व ही वह तत्त्व है कि जो आर्यधर्म की उस शक्ति की व्याख्या करता है जिस शक्ति के कारण यह धर्म इतर धर्मों को आत्मसात् करके आत्मरक्षा भी करता है। प्रश्न यह है कि यदि आर्य धर्म इतना शक्तिशाली है, तो उसके अनुयायियों की आज यह भ्रमनति क्यों? उत्तर है—आर्य धर्म के अनुयायियों को अपने एक ध्येय को छोड़कर चतुर्मुखी प्रवृत्ति हो उनकी भ्रमनतिका कारण है। एक मनुष्य कुछ मील पूर्व दिशा में चले, कुछ मील दक्षिण दिशा में चले, कुछ मील पश्चिम में चले और कुछ मील उत्तर में चले, तो वह अपनी मजिल पर तो पहुंच ही नहीं सकता, साथ ही उसकी गति में मन्दता आ जाएगी। इसी तरह आर्य धर्म में भी चतुर्मुखी प्रवृत्ति होने के कारण उसकी गति में मन्दता आ गई, लिहाजा आर्य-धर्म को लोग निराशावादी, भाग्यवादी अकर्मण्यतावादी आदि न जाने क्या क्या समझ बैठे।

यहां तक जो कुछ लिखा गया, उसमें आर्यधर्मभाव या धर्मवृत्तिकी दो विशेषताये तो स्पष्ट हो जाती है—(१) आर्यधर्म में उदारता का भाव तथा कट्टरता का अभाव, (२) परिवर्तन के प्रति आस्थायान् होते हुए भी किसी नवीन सिद्धान्त को सहसा अपनाने में अरुचि।

आर्यधर्म की एक और भी विशेषता है। यह विशेषता है—उसकी अटपटी वाली, परमेशको अनेक परस्पर-विरोधी गुणों से मडित करने का प्रयत्न तथा उसकी यह मान्यता कि एक जीवनवृष्टि तथा जीवनमार्ग भी उतने ही सत्य हो सकते हैं जितने कि दूसरे। आर्यधर्म की इस विशेषता ने अनेक विदेशी पर्यवेक्षकों को चक्कर में डाल दिया और वे आर्यधर्मकी सत्यनिष्ठा के प्रति शकालु बन गये। अन्तिम विशेषता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आर्यधर्म दूसरे धर्मों से विरोध नहीं करता, क्योंकि यह धर्म दूसरे धर्मों में निर्दिष्ट मार्गों में भी सत्य का दर्शन करता है। अर्यधर्म अन्य धर्मों के समान दुराग्रही तथा कट्टरपथी नहीं है। आर्यधर्म का प्रमुख स्वर यही प्रतीत होता है कि प्रत्येक जन अपनी क्षमता, रुचि और विकासस्तर के अनुसार आचरण करे। आर्यधर्म स्पष्टतया इस बात को स्वीकार करता है कि बहुरंगी मानव-स्वभाव एक ही सांचे में नहीं डाला जा सकता, इसलिए मुक्तिमार्ग एक न होकर अनेक है।

इसप्रकार वैदिकधर्म में सहिष्णुता है, उदारता है, विशालता है और इतर

धर्मानुयायियों के प्रति सहानुभूति है। इसलिए वैदिकधर्म को सबधर्मों का समन्वय अथवा एक सार्वभौम धर्म कहा जा सकता है। वैदिकधर्म अपने उद्भव के लिए किसी अवतार, पैगम्बर या तवीका ऋणी नहीं है, न वह किसी एक धर्मग्रंथ पर वह टिका हुआ है, वह धर्म तो वस्तुतः एक चयनमूलक समष्टि है। वैदिकधर्म उन सब विभिन्न मतों, धर्म मार्गों की एक सप्रहात्मक सज्ञा है, जिन्होंने समय-समय पर भारत को उद्वेलित किया, भले ही यह उद्वेलन या जागरण सगठित देशव्यापी आन्दोलनों के रूप में हुआ हो, या जहाँ तहाँ छिटपुट रूप में। इन समस्त भिन्नतामूलक तत्त्वों से वैदिकधर्म का कलेवर बना है। उक्त समस्त तत्त्वों को "वैदिकधर्म" इस अधिधानने एक सधीय एकता में गुफित कर दिया है और उन्हें एक समजातीयता की भावना प्रदान की है। इसके प्रतिरिक्त वैदिकधर्मान्तर्गत विभिन्न मतों और सम्प्रदायों में कुछ अन्य भी सामान्यसूत्र है जोकि इन मतों और सम्प्रदायों पर विशिष्ट एकता की छाप लगाते हैं और उन्हें एक ही समष्टि के विभिन्न अंगों के रूप में दर्शाते हैं। वैदिकधर्म इस प्रकार एक समष्टिगत धर्म होते हुए भी इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है।

यहाँ हमें एक भय के प्रति सचेत रहना है। वह भय यह है—हम देख चुके हैं कि वैदिकधर्म विभिन्न मतों की समष्टि होने के कारण इसमें भिन्न और बहुरंगी तत्त्वों में कुछ तत्त्व उच्चश्रेणीय हैं और कुछ निम्नश्रेणीय, अतः यहाँ हमें इस भय के प्रति सचेत रहना है कि वैदिकधर्म की व्याख्या इन निम्नश्रेणीय तत्त्वों के आधार पर न की जाये। (कई बार ऐसी व्याख्या करने का प्रयास किया गया, और वैदिकधर्म का स्वरूप ही विकृत हो गया।) वैदिकधर्म में निहित उच्च तत्त्वों की कभी भी अह्मत्वंना न की जाये। वैदिकधर्म में निहित निम्न श्रेणीय तत्त्वों के आधार पर उसकी व्याख्या करना उसकी एकांगी व्याख्या ही होगी। ऐसी व्याख्या मानवीय दुर्बलता का एक दृष्टान्त है। इसी दुर्बलता से प्रेरित होकर मनुष्य असावधानी पूर्वक सामान्यनियम स्थापित करता है और अपर्याप्त आधार पर उतावलेपन से अपने मत निर्मित करता है। समय-समय पर कई आन्दोलनों ने जन्म लिया, जैसे ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज। इन्होंने वैदिकधर्म से उन आक्षेपीय तत्त्वों को दूर करके हिन्दूसमाज की धार्मिक चेतना को परिष्कृत करनेका प्रयास किया, परन्तु किसी न किसी कारणवश ये आन्दोलन हिन्दूजाति को समग्र रूप से जगाने में असफल रहे। इसी कारण आज भी हिन्दूधर्म में परिष्कार करके उसे जागृत आवश्यकता बनी ही हुई है।

वैदिकधर्म का ईश्वर के स्वरूप के प्रति दृष्टिकोण अपना निराला है। वह

मनुष्य को सृष्टि के प्रति एक अनोखा भाव रखने के लिए उद्देश्य देता है तथा मानव-व्यवहार का एक अनूठा सिद्धान्त प्रस्तुत करता है। ईश्वर के स्वरूप के प्रति वैदिक धर्म का सामान्य दृष्टिकोण यह है कि वह ईश्वर को परम पुरुष मानता है, जिसने उद्देश्यपूर्वक जगत् को सृष्टि की है और जो जगत् का पोष और शासक है। ईश्वरको सर्वगत, निराकार और निस्पृह ब्रह्म माना गया है। ईश्वर के स्वरूप तथा ईश्वर और जगत् के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में वैदिक धर्म में अनेक दृष्टिकोण मिलते हैं, ये ऊपर से भिन्न भिन्न दिखाई देने पर भी इनका आन्तरिक भाव एक ही है।

इस ईश्वरवादी विश्वास ने कि परमेश एक चैतन्ययुक्त पुरुषोत्तम के रूप में समस्त प्रकृति में व्याप्त है, आर्यों में एक सर्वगत श्रद्धाभाव का निर्माण किया है। यह भी संभव है कि इसी विश्वास ने ग्रहिया के सिद्धान्त के विकास में योग दिया हो और वैदिक धर्म को इतनी व्यापकता प्रदान की हो कि उसने सभी पशु और प्रस्तरादि जड़ पदार्थों में ईश्वर के सर्वव्यापत्व को स्वीकार किया। जैसा कि आज अनेक हिन्दु कहते हैं कि एक मूर्ति अथवा किसी पशु या अन्य प्राकृतिक भूत की पूजा करने में हम वस्तुतः उस परमात्मा की पूजा करते हैं जो कि समस्त प्रकृति में व्याप्त है। पर मूर्तिपूजा अथवा पशुपूजा आदि के पक्ष में कुछ भी कहा जाए, यह तथ्य प्रकाट्य है साधना का आधिक्य एक प्रकार के शैचित्य को जन्म देता है तथा मन को धर्म के सत्यभाव से विद्युक्त करता है।

वैदिक धर्म को ब्रह्मवादी प्रवृत्ति की भी अपनी विशेषता है। इस वादेन ने वैदिक धर्म में एक शान्तिता प्रदान की है तथा वह समदृष्टि भी दी है, जिसके भीतर ऊँच-नीच, सुख-दुःख आदि समस्त भेद तिरोहित हो जाते हैं। निस्सन्देह ससार में अत्यधिक आसक्ति को नियमित करने के साधन के रूप में ब्रह्मवाद का एक मूल्य है, क्योंकि यह सिद्धान्त मानव मन की सासारिक वस्तुओं की निस्सारता के भाव से अवश्य भरेगा, परन्तु जैसा कि अनुभव ने अनेक बार बताया भी है, यह स्पष्ट है कि उक्त सिद्धान्त के प्रति विशिष्ट आग्रह हमारी जीवनोन्मुखी प्रवृत्ति को शिथिल कर देगा तथा हमें अनेक निर्विवाद नैतिक मूल्यों जैसे—प्रेम, त्याग, सेवा आदि के प्रति भी उपेक्षापूर्ण बना देगा।

वैदिक धर्म में स्वभाववाद का प्रभाव उस सुविख्यात कर्मसिद्धान्त में है, जिसके अनुसार मानव-भाग्य का निर्माण एक अर्धयांत्रिक रूप में इस जगत् में उसके द्वारा किए गए कर्मों से भागवत हस्तक्षेप से स्वतंत्रतापूर्वक होता है। कुछ विद्वानों ने कर्मसिद्धान्त पर ये आक्षेप किए हैं—(१) यह सिद्धान्त पञ्चदशक के

मोक्ष के लिए कोई द्वार खुला नहीं छोड़ता । (२) यह सिद्धान्त ऐसे पथभ्रष्टों के प्रति लोगों को उदासीन बना देता है (३) वे लोग सोचते हैं कि ये दुखी जन तो अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण ही दुःख भोग रहे हैं, अतः इसमें कोई क्या कर सकता है ? ये दुःख तो इन्हे भोगने ही पड़ेगे । (४) इस प्रकार सुखीजन दुखी-जनों की सहायता करने के लिए कभी आगे नहीं आएंगे । इस प्रकार सारा नीतिशास्त्र (Ethics) व्यर्थ हो जाएगा ।

उनके ये आक्षेप इसी कारण हैं कि उन्होंने कर्मसिद्धान्त की व्याख्या बहुत हाँसकुचित तथा सीमित अर्थों में की है । यदि 'कर्म' शब्द के अर्थ को विस्तृत किया जाए और कर्म के अन्तर्गत मनुष्य के बाह्य व्यापारों के साथ साथ आन्तरिक भावनाओं, अभिवृत्तियों और सकल्पों को भी शामिल कर लिया जाए, तो कर्मशासन के अधीन मानव-जीवन का चित्र वैसा रूख, कठोर तथा नीरस नहीं दीखेगा । क्योंकि किसी दुष्कर्म को करने के बाद होने वाले पश्चात्ताप तथा उसके बाद से सदा सत्कर्म करने का सकल्प आदि उन शक्तियों को जन्म दे सकते हैं, जो उपरोक्त दुष्कर्म के उदीयमान कुफलो को बाधित या नष्ट कर देंगी । दूसरी ओर जब सुखीजन भी इस बात की कल्पना करेंगे कि वे भी अपने कर्मों के परिपाकस्वरूप इसी प्रकार कभी दुःख में पड़ सकते हैं और उस अवस्था में उन्हें भी दूसरों की दया तथा सहानुभूति की आवश्यकता होगी, तो वे भी दूसरों के प्रति दया तथा सहानुभूति का भाव दिखायेंगे ।

कर्म सिद्धान्त का पूरक पुनर्जन्म सिद्धान्त है । यह अनिवार्य नहीं है कि किसी व्यक्ति के कर्मों के समस्त परिणाम एक ही जीवन की सीमाओं में भोग लिए जाएं । सामान्यतः यही होता है कि एक जन्म में किए गए कर्मों में से कुछ के परिणाम दूसरे जन्म में भोगने के लिए छोड़ दिये जाते हैं । इस प्रकार एक जीवात्मा को अनेकानेक जन्मों की श्रृंखला में तब तक बधना होता है, जब तक कि उसके कर्मों का आयव्यय बराबर न हो जाए । कर्मों के आयव्यय के बराबर हो जाने पर जीवात्मा पुनर्जन्म के बधन से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में लीन हो जाती है । पुनर्जन्म सिद्धान्त के गुणावगुणा कुछ भी हो, कम से कम यह सिद्धान्त एक सुन्दर ढंग से इस जगत में दृष्टभाग्य-भेदों की व्याख्या करता है । इसके अतिरिक्त इसकी सत्यता पर प्रकाश डालने वाले साक्ष्य की भी कमी नहीं है प्रस्तुत स्थल पर वैदिक धर्म ईसाई तथा मुसलमान धर्म से बहुत भिन्न है, जिनके मत मानवात्मा की मृत्यु-परवर्ती दशा के विषय में नितान्त भिन्न हैं ।

कर्म सिद्धान्त से भिन्न और उसकी अपेक्षा अधिक व्यवहारमूलक निष्काम-कर्म-सिद्धान्त है। निष्काम-कर्म-सिद्धान्त गीता की शिक्षा का मूलमंत्र है। सञ्ज्ञेय उक्त सिद्धान्त यह है कि यह देखते हुए कि कर्म ही जीवन की आत्मा है निष्क्रियता अथवा अनिर्णीतता अनुचित है और प्रत्येक व्यक्ति को दृढसंकल्पपूर्वक कर्म करना चाहिये, परन्तु उसके किसी कर्म में कर्म-फल विषयक चिन्ता नहीं होनी चाहिये। मनोविज्ञान यहाँ एक प्रश्न उठा सकता है— क्या कर्म करने में किसी व्यक्ति की मानसिक दशा नितान्त रूप से निस्पृहता की हो सकती है और क्या उसके मन में कहीं पर कोई ठोस लक्ष्य नहीं होगा ? उत्तर में कहा जा सकता है कि मात्र कर्तव्य पालन से प्राप्य आनन्द के रूप में ठोस लक्ष्य होगा और प्रस्तुत सदर्म में निस्पृहता का अर्थ केवल कर्तव्य-कर्म में सकुचित स्वार्थ की दृष्टि का अभाव है। कोई यहाँ यह प्रश्न भी कर सकता है, कर्तव्य क्या है एव कर्तव्य के विषय में गीता क्या कहती है ? वस्तुतः गीता इस प्रश्न को अधिकांशतः अनुत्तरित छोड़ देती है, कारण कर्तव्य का सर्वदा पूर्व—निर्धारण नहीं किया जा सकता और कर्तव्य किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर होता है, परन्तु एक सर्वोच्च कर्तव्य, कर्तव्यों के कर्तव्य का वह अवश्य निर्देशन करती है और वह कर्तव्य है “अपने समस्त कर्मों में एकान्ततः स्वार्थ-मय भावनाओं का त्याग।” यह प्रश्न भी किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को स्वार्थहीन क्यों होना चाहिये एव स्वार्थ शून्यता के आदर्श का ताकिक आधार क्या है ? उक्त प्रश्न का यह उत्तर हो सकता है कि स्वार्थशून्यता अपने में ही शिवम् है तथा अपनी तर्कमत्तता के निमित्त वह अपने से परे किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं करती। यहाँ यह कहा जा सकता है कि गीता व्यवहार के एक भव्यतम सिद्धान्त की व्याख्या करती है और यह ठीक ही है जो वह प्रबल आकर्षण की जननी बनी है, केवल भारत में ही नहीं परन्तु अनेक सभाओं में अन्यत्र भी।

यद्यपि गीता निष्काम कर्म सिद्धान्त को सर्वगत अपौरुषेय जगदाधार के तान्त्रिक सिद्धान्त पर छोड़ देती है, तथापि उक्त सिद्धान्त की व्याख्या परमेश विषयक उस अन्य सिद्धान्त के आधार पर भी की जा सकती है जिस सिद्धान्त के अनुसार परमेश एक महान् कलाकार या एक महान् खिलाड़ी है जो कि क्रीडा-निमित्त एव स्वान्तर्गत आनन्द बाहुल्य अथवा उल्लासमय प्रेम के आधीन जगत् को उत्पन्न करता है। यह देखते हुए कि समस्त मानव कृत्यो व भावो की सत्य तथा फलप्रद होने के निमित्त चरमतत्त्व की ओर निहारता है, यह स्पष्ट है कि इन कृत्यो व भावो के अचल में स्वार्थहीन प्रेम होना चाहिए।

भिन्न और परस्पर विरोधी दीखने वाले विचारों को मिलाने की, तथा किसी वस्तुतः व्यापक और सर्वतोमुखी दर्शन निर्माण की दिशा में वैदिक-मनोवृत्ति ने जो परिश्रम किया है वह अनेक उन सूत्रों, बीजाक्षरों, एवं सक्षिप्त वाक्यों में व्यक्त है जो कि लगभग आर्यों के जिह्वापर पर वास करते हैं और तनिक क्षोभ के संयोग से ही वाणी के रूप में निकल उठते हैं। एक ऐसा सूत्र है—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और इसका तात्पर्य है कि जीवनोद्देश्य चतुर्मुख होता है जिसमें पौरुषकार, अर्थोत्पादन, इन्द्रियजन्यसुख तथा मोक्ष होते हैं। एक अन्य सूत्र है—कर्म, ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग, भक्तिमार्ग यानी आत्म लाभ के तीन वैकल्पिक मार्ग होते हैं—ज्ञानप्रधान मार्ग, कर्मप्रधानमार्ग एवं भक्तिप्रधानमार्ग। एक तीसरा सूत्र जो कि एक सुसंगठित एवं सुनियोजित जीवन के चार आश्रम-स्थलों को निर्दिष्ट करता है जो कि निम्नोक्त है—ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास। इस सूत्र अथवा सक्षिप्त दर्शनोक्ति के अनुसार एक सुनियोजित जीवन के चार क्रमिक भाग हैं जो साधारण शब्दों में इस प्रकार बतलाये जा सकते हैं—इक लौकिक जीवन की तैयारी, इह लौकिक जीवन, पारलौकिक जीवन की तैयारी, पारलौकिक जीवन। इत्यादि २ ॥

वैदिकधर्म पर्वों, उत्सवों और तज्जनित उत्सासानुभूतियों की परम्परा से विभूषित है। वैदिकधर्म के उत्सव व समारोह अधिकांशतः प्रकृतिकी विभिन्न भावभंगिमाओं के क्षतुदिक घूमते हैं और एक आर्य के प्रकृति-प्रेम तथा प्रकृति-जीवन और मानव-जीवन की सहचारिता के उसके भाव को प्रकट करते हैं। यह वैदिकधर्म का प्रकृति-प्रधान पक्ष है और वैदिकधर्म की उन मान्यताओं की ओर संकेत करता है जिन में से एक यह है कि मानवात्मा तथा प्रकृति दोनों में एक ही परमजीवन है और इस प्रकार दोनों वस्तुतः अभिन्न हैं, तथा एक दूसरी वह है जिसके अनुसार परमेश एक विनोदप्रिय प्रेमी तथा सृष्टिकर्ता है। वैदिकधर्म का यह प्रकृति-प्रधान पक्ष कतिपय सीमाओं के अन्दर एक स्वरथ और सामान्य वस्तु है, परन्तु यह स्पष्ट है कि इसकी प्रबलता लोगों की जीवन के गभीर रूप के प्रति उपेक्षापूर्ण बना सकती है तथा उनमें एक उथलेपन के भाव को जन्म दे सकती है। आर्यों की प्रकृति के प्रति उक्त रागात्मक वृत्ति और प्रकृति के भिन्न विलासों में उसके साथ उन्मुक्त साहचार्य्य, प्राचिन यूनानी प्रकृति-पूजा की ओर संकेत करते हैं और तुलना तथा पारस्परिक आदान-प्रदान के प्रश्नों को उठाते हैं, परन्तु यह सब प्रस्तुत निबन्ध के विषय-वृत्त के बाहर की बातें हैं।

वैदिकधर्म के शब्द (पद) 'धर्म' ने अपने ठीक अर्थ के सम्बन्ध में न

केवल आर्यतरो वरन् अनेक आर्यों के समक्ष भी कुछ कठिनाई प्रस्तुत की है। आजकल 'धर्म' इस पद का प्रयोग अंग्रेजी पद 'रिलीजन' के समानार्थक पद के रूप में किया जाता है, और 'रिलीजन' के समान वैयक्तिक आस्थाओं तथा संगठित सार्वजनीन-सम्प्रदायों-का निर्देश करता है। वैदिकधर्मशास्त्रों में कभी तो इस 'धर्म' पद का प्रयोग सामान्य-मानव कर्तव्य के अर्थ में होता है और कभी केवल प्रातिगत अथवा वर्गगत कर्तव्य के अर्थ में। इस शब्द के अन्य अर्थ भी हैं। परन्तु उन सब अर्थों में प्रवेश एक विशिष्ट समीक्षा का विषय होगा।

वैदिकधर्म एक प्रकार के नैसर्गिक तथा पूर्व योजनापूर्ण स्वतन्त्र विकास का विषय रहा है। अपने वर्तमान रूप में यह एक जटिल, लम्बी-चौड़ी, विशिष्ट रूप-रहित अटपटी प्राचीन संस्था है, यद्यपि इसकी कोख में एक तात्त्विक, संप्राण इकाई है; और वही वस्तुतः 'आर्यत्व' द्वारा इंगित धर्म है, ऐसा कहा जा सकता है। वैदिकधर्म की एकान्त आवश्यकता है उसका पुनर्गठन, उसके बिखरे हुए विचारों और सम्प्रदायों, अशुद्धलित परिपाटियों और प्रथाओं आदि की एक सुनियोजित अनुक्रम में सजोना। देखना है कि वैदिकधर्म अपने विलक्षण औदार्य और विस्तृत दृष्टिकोण को अभ्युपगमन रखता है, अथवा अपने नव-संगठन-जनित उत्साह की भूमिका में सकुचित अहंकारकी धाराओं में बह जाता है, अथवा विश्व में एक रूप, मत और आराधना के हेतु वह एक विस्तृत आन्दोलन के नितान्त सक्रिय रूप को धारण कर लेता है।

वैदिक सस्कृति का मर्म स्पष्ट करने वाली कहानी

मृत्यु के कालदूत पृथ्वी पर आये

छे०—७१० रामचरण महेन्द्र, पी०एच०डी०

“यह देखो, यह पहला कालदूत असयम है, यह हरी आँखोवाली ईर्ष्या, यह लाल नेत्रो वाला आवेश; यह मोटे पेट वाला लोभ, यह निष्ठुरता, यह अशिष्टता, यह तृष्णा और यह आलस्य है। ये आठो जहा रहेंगे, वहा मनुष्य धीरे-धीरे स्वय ही तुम्हारे मुह मे आ जाएगे।”

“अब मेरा कार्य हलका हो गया।” कहकर मृत्यु ससार मे उतर आई।



मा नो हेतिविवस्वत आदित्या कृत्रिमा शरु
पुरा नु जरसो बधोत् ॥ —ऋग्वेद ८/६७/८०

अर्थात् हमारा जीवन इस प्रकार हो कि हम पूर्ण आयु प्राप्त करे। हमारी अकाल मृत्यु न हो, इसलिए हम सयमित जीवन जिये।

उस दिन ब्रह्माजी चिन्तित हो कर कुछ सोच रहे थे। मुख पर चिन्ता के चिह्न काले बादलो की तरह उभरे हुए थे। पहली बार वे विचारो मे डूबे हुए थे।

उनका मुख्य कार्य सृष्टि का नव-निर्माण है। वे सृष्टि के जन्मदाता है। अनेक प्रकार के जीवों को जन्म देना, उनके पालन पोषण की सुव्यवस्था और विकास की देखभाल उन्ही के जिम्मे रहती है। बडी ही उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है उनका!

यदि जीवो के उत्पादन और विकास के क्रम मे कमी आ जाय, तो सृष्टि

ही अन्त हो जाय ! ब्रह्माजी को यही ध्यान रहता कि जीवों के निर्माण में कमी न आये । वे अपना सारा समय निकाल सृष्टि को बढ़ाने में ही लगे रहते । सृष्टि हर प्रकार भरीपूरी रहे, यही उनकी इच्छा रहती थी ।

जहाँ और जीव बढ़े, वही मानव-समुदाय भी बढ़े—ब्रह्माजी ने यह ध्यान रखा था । उन्होंने मानव-समाज के प्रजनन बढ़ते रहने का उपक्रम किया था । ऐसी मोहक-मादक कामोत्तेजक प्रवृत्तियाँ प्रोत्साहित की थी कि प्रजनन बढ़ता रहा । मनुष्यों की संख्या उत्तरोत्तर अभिवृद्धि पर रही । जैसे एक माली को अपने खेत को लहलहाता, पुष्पित फलित होते देखकर आनन्द होता है, उसी प्रकार ब्रह्माजी मनुष्यों की संख्या बढ़ते देख कर अल्लाहित होते रहते थे । एक समय ऐसा आया कि वे जितनी जनसंख्या चाहते थे, उतनी पूरी हो गई । अब वे सन्तुष्ट हो गये कि सृष्टि का अन्त नहीं होगा ।

लेकिन मनुष्यों ने प्रजनन कर्म पुरानी गति से फिर भी जारी रखा । उनकी भोगविलास की कामुक प्रवृत्तियों पर कोई रोकथाम न रही । वे दिन रात प्रजनन सम्बन्धी निष्कायो में ही लगे रहते, फलस्वरूप जनसंख्या अनापशनाप बढ़ने लगी । भोजन में कमी पडने लगी । ब्रह्माजी ने चाहा कि अब जनसंख्या पर कुछ रोकथाम लगे, अन्यथा मनुष्यों को भूखा रहने की विवश होना पड़ेगा । वे अपने ही बनाये मनुष्यों को क्षुवा-पीडित देख कर कफचापूरित हो उठे !

आज वे प्रजनन बढ़ते रहने से चिन्तित बैठे जनसंख्या के नियंत्रण पर विचार कर रहे थे । “इस अनिर्पत्रित अभिवृद्धि की रोकथाम कैसे हो ?” उनके स्वर में भ्रुभ्रताहट थी ।

यकायक क्षितिज पर उदित होती हुई रश्मि की तरह एक नया विचार उनके मनमें आया, “कोई ऐसी शक्ति हो, जो बरबस जनसंख्या पर नियंत्रण करे । अनापशनाप बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए कोई ऐसी ताकत हो, जो भोजन और निवास के अनुपात में जनसंख्या को सन्तुलित कर दे ।”

बहुत सोचकर उन्होंने अपने तपोबल से मृत्यु को जन्म दिया । मृत्यु एक नवोद्गा युवती के रूप में ब्रह्माजी के सामने खड़ी थी । उसने अपने पितामह को आदर पूर्वक प्रणाम किया ।

“पितामह ! मेरे जीवन का क्या लक्ष्य होगा ? मैं इस संसार में किसलिए पैदा की गई हूँ ?” मृत्यु ने जिज्ञासा प्रकट की ।

“मैं तो संसार का स्रष्टा हूँ । तरह तरह के अच्छे बुरे जीवों को बनाता रहता हूँ । मैंने तुम्हें भी बना डाला !”

“फिर भी जन्म का कोई तो प्रयोजन होगा ही ?” मृत्यु बार बार पूछने लगी ।

“तुम जिव कर रही हो ।”

“हर व्यक्ति का कोई न कोई लक्ष्य है । जन्म का प्रयोजन है । मेरे जन्म का भी कोई दिशा हुआ गुप्त अभिप्राय होना ही चाहिए ?” मृत्यु ने पूछा ।

“हां, है तो एक लक्ष्य ।”

“वह क्या है, पितामह ? मुझे अपना काम बता दीजिये, जिससे खाली झालस में न बैठकर अपना कार्य प्रारंभ करूँ ।”

“अब ब्रह्माजी को अपना अभिप्राय स्पष्ट करना पडा”

“मनुष्य-लोक में जनसंख्या बड़ी तीव्रता से बढ़ रही है । प्रतिदिन हरक्षण कीड़े मकोड़ों की तरह आदमी बढ़ते जा रहे हैं । यहाँ तक कि उन्हें भूखे मरने की नीवत आ गई है । स्थान तक कम पड़ने लगा है अब !”

“यह तो आपकी सृष्टि है । आप जितना चाहें बढ़ा सकते हैं ।”

“लेकिन उसमें सन्तुलन भी रहना चाहिए । कुछ नियंत्रण जरूरी है ।”

“फिर मैं क्या सहायता कर सकती हूँ, पितामह ? आज्ञा दे ।”

मन में उद्विग्नता लिए टीस भरी आवाज में ब्रह्माजी बोले, मनुष्यों की अनियंत्रित बढ़ोतरी न होने पावे, इसलिए तुम सन्तुलन बनाये रखने की दृष्टि से उन्हें मार-र कर परलोक में भेजती रहा करो ।”

“ओफ ! ऐसा निन्द ! लोगो को मारने जैसा बीभत्स दुष्कर्म ! पितामह, यह हिंसा का कर्म तो मुझसे न होगा ।”

“यह तो सन्तुलन स्थिर रखने की दृष्टि से है ।”

“पितामह, निरपराध जीवो का वध करना कितना निर्दयतापूर्ण और कुत्सित है ।” उसकी जिह्वा में करुणा का स्वर था ।

“जो जीव बच जायेंगे, वे सुखी और स्वस्थ रहेंगे ।”

“क्या आजीवन मुझे सहार का ही पापकर्म करते रहना होगा ?”

मृत्यु ने पूछा । “क्या मुझे नित्य ही असह्यो का अभिशाप भोडना होगा ?”

थोड़ी देर के लिए मृत्यु कुछ आगे न बोल सकी । उसका कंठ भर आया । उसका यौवन और सौन्दर्य आसुओं से भोग उठा । असह्य व्यक्तियों को मारने की हिंसक कल्पना ने उसे विचलित कर दिया ।

“ओ ! तुम तो रोने लगी ।” सिर पर हाथ फेरते हुए ब्रह्माजी ने मृत्यु को सान्त्वना दी । वे आगे समझते हुए कहने लगे, “इसमें तुम्हारा दोष नहीं है । खेतों से व्यर्थ के भ्राज, भस्माड और खराब घास कूड़ा भी तो फेंका जाता है । सृष्टि का सन्तुलन स्थिर रखने के लिए पवित्र कर्म समझकर जनसह्यो के नियंत्रण का यह कार्य करो । इसमें तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा ।”

“नहीं, मारने और जीवन पर्यन्त हिंसा ही करते रहने का यह दुष्कर्म करने का साहस मुझ से न हो सकेगा । मारने का काम बड़ा धिनौना है । उसे कहने की हिम्मत नहीं बन पड़ रही है मुझसे । क्या कोई और अच्छा कर्म मेरे भाग्य में नहीं लिखा है ? कुछ शुभ कर्म बताइये मुझे ।”

“सृष्टि का नियंत्रण भी बहुत महत्त्वपूर्ण कर्म है ।” इसमें तुम्हें पाप न समझना चाहिए । तुम रोओ नहीं, स्थिति को समझो ।

“मृत्यु रोती रही । दुष्कर्म करने को तैयार न हुई ।”

“ओ ! तुम नेत्रों पर हाथ रखकर लगातार रो ही रही हो । कुछ सोचो

तो । यह तो कर्त्तव्य है । मैंने तुम्हे सर्वोपरि शक्ति बनाया है । तुम्हारे चुगुल से कोई न बचेगा । तुम जोव-जन्तु किसी को भी छोडोगी । तुम सबसे ऊपर हो ।”

“पितामह, इस नरसंहार से मुझे घृणा हो रही है ।”

मृत्यु अपने चेहरे को हाथो से ढके हुए धेतुकाश्रम के समीप वाले वन में चली गई । वहा जाकर उसने धोर तप करना आरभ कर दिया ।

उस तपस्या से ब्रह्माजी का आसन डोल उठा ।

उन्हे फिर मृत्यु की स्मृति हो आई । वे दवाद्रं होकर धेतुकाश्रम पहुचे । देखा, वह तहस्या मे तप-२ कर घाधी हो गई है ।

दया और प्रेम से अभिभूत ब्रह्माजी ने प्यार से उस पर हाथ फेरा और पूछा, “पुत्री ! तुम्हारे इस तप की क्या कामना है ? मुझसे कहो । मैं उसे पूर्ण करूंगा ।”

“पितामह, मुझसे हिसा जैसा वह कुत्सित दुष्कर्म न हो सकेगा, जो आपने मुझे करने को कहा है ।”

ब्रह्माजी सुन रहे थे ।

“पितामह, मैं निदोष प्राणियों का वध करूं ऐसी बुरी मेरी मन स्थिति नहीं है । मुझे इस पाप से बचाइये । यही इस तप का उद्देश्य है ।”

“जिस उद्देश्य के लिए इसकी सृष्टि की है, यह उसी से बचना चाहती है । यह तो जटिल समस्या है ।” यह सोचकर ब्रह्माजी असमजस मे पड गये ।

उधर जनसंख्या उसी तरह अनियंत्रित गति से बढ़ती जा रही थी । उसे रोकना आवश्यक था । वे करते भी क्या ? बढ़ती हुई प्रजा के नियमन के बिना सन्तुलन स्थिर रखने का कोई उपाय ही न था । उधर मृत्यु हिसा के लिए तैयार न होती थी ।

वे कोई दूसरा हल सोचने लगे ।

❀

मुस्कराते हुए उन्होंने मृत्यु के सामने एक दूसरा विकल्प रख दिया ।
“देखो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आठ कालदूतों को पृथ्वी पर भेजता हूँ ।”

“वे क्या करेंगे ?” मृत्यु ने पूछा ।

“कालदूत मनुष्यों के मन में प्रवेश कर उन्हें भीतर ही भीतर खोसला करते रहेगे ।”

“और मारने का काम कौन करेगा ?” आश्चर्य से मौत ने पूछा ।

“इन कालदूतों के चगुल में फसे रहने के कारण वे अपनी आग में स्वयं ही जलते रहेगे । इस प्रकार अब वे मरणासन्न हो जायेंगे, तो क्लेश से शान्ति पाने के लिए मौत को स्वयं ही पुकारने लगेंगे ।

“फिर पाप किसे लगेगा ?”

“इस अवस्था में भला तुम्हें पाप क्यों लगेगा ? तुम तो पीड़ितों और मानसिक रोगियों को आश्रय दिया करोगी ।”

“मेरा यह कार्य पाप या पुण्य, किस कोटिका माना जायेगा ?”

“तुम्हारा कार्य निष्ठुरता न रहकर दया और सान्त्वना का बन जायेगा ”

“तब तो ठीक है । यह कार्य पाप न रहे तो मैं करना स्वीकार करती हूँ ।” उसने कुछ हलकापन अनुभव किया ।

ब्रह्माजी ने नेत्र मूद अपने आत्मबल से आठ कालदूतों को जन्म दिया । वे बड़े विकरात रूप के थे । उनकी आकृति हिंसा के दुष्कर्मसे मिलती जुलती थी ।

“यह लो आठ कालदूत । वे तुम्हारी सहायता करेंगे ।” ब्रह्माजी बोले ।

“इनका परिचय तो कराइये, पितामह !”

“यह देखो, वह पहला कालदूत असयम है । जो इसके कब्जे में आ जायेगा, वह धीरे धीरे स्वयं तुम्हारे मुह में चला जायेगा । वह मनुष्य खानपान, आचार व्यवहार, मद्यपान, जुआ खेलना तनिकसी बातों पर उत्तेजित होना आदि सर्वत्र विनाशकारी परिस्थितिया उत्पन्न करेगा और तुम्हारे मुह में आ जायेगा ।”

“और कौन कौन है, ये कालदूत ?”

“यह देखो हरी आसो वाली ईर्ष्या, यह लाल नेत्रों वाला आवेश, यह मोटे पेटवाला लोभ, यह निष्ठुरता, यह अशिष्टता, यह तृष्णा और यह आलस्य है । ये आठों जहां रहेंगे, वहां धीरे धीरे मनुष्य स्वयं ही तुम्हारे मुह में आ जायेंगे ।”

“अब मेरा कार्य हलका हो गया ।” कहकर मृत्यु ससार में उतर आई ।

—वैदिकधर्म अक्टू०-नव० १९७० से साभार

वैदिक संस्कृति और मोक्ष

छे० : श्री डॉ० सुंशीराम जी शर्मा,
डी० डि०, ए/७० आर्यनगर, कानपुर

जैसे शाला की नीव या आधार भूमि होती है और ईंट, पत्थर, सीमेंट, चूना, बालू आदि उसके निर्माण में साधन-भूत होते हैं और लक्ष्य होता है उस में सुखपूर्वक निवास करना, वैसे ही हमारे जीवन की आधार-शिला धर्म है, अर्थ और काम उसमें साधन रूप हैं और मोक्ष अर्थात् त्रिविध दुखों से छुट कर आनन्द प्राप्त करना उसका लक्ष्य है। वेद के अनेक मन्त्रों में मोक्ष प्राप्ति की कामना वर्णित हुई है और स्वर्ग का अर्थात् सुख विशेष का काम्य तत्त्व के रूप में उल्लेख हुआ है।

स्वर्ग को त्रिविष्टप तथा तृतीय धाम भी कहा गया है। इस तृतीय धाम में जो मोक्ष रूप अमृत है उसका आस्वादन दिव्य-गुण-सम्पन्न देवी पुरुष ही किया करते हैं। वेद कहता है —

यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्ध्वरयन्त । - य० ३२/१०

इस तृतीय धाम में देव अमृत का उपभोग करते हुए स्वच्छन्द विचरण किया करते हैं। व्याहृतियों में स्वः का स्थान तीसरा है। उसके आगे के चार लोक या चार स्थितियाँ और हैं। ये स्थितियाँ मोक्ष के ही विभिन्न स्तर हैं, ऐसा छान्दोग्य उपनिषत्कार का अभिमत है। प्रथम प्रकार के स्वर्ग में वसुधों का राज्य है, द्वितीय में रुद्रों का, तृतीय में आदित्य का, चतुर्थ में मस्त का और पंचम में सोम का साम्राज्य है। इन मोक्ष लोको में देव निवास करते हैं, जो न खाते हैं और न पीते हैं अपितु अमृत को देखते ही तृप्त हो जाते हैं। अंतिम स्थिति में साध्य देव पहुँचते हैं जिनके लिए सूर्य के उदय तथा अस्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, इनके लिये सदैव दिन ही रहता है। ये प्रकाश के वासी हैं, उपभोक्ता हैं और स्वयं ज्योतिर्मय हैं। वेद कहता है —

नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हृणा
 बृहद्देवासो अमृतत्वमानशु ।
 ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो
 दिवो वष्मणि वसते स्वस्तये ॥ ऋ० १०/६३/४

ये मुक्तात्मा देव नरत्व के द्रष्टा हैं, मानवता की पहचान रखते हैं, अपलक दृष्टि में सबको देखते हैं, पूजनीय हैं और बृहत् अमृतत्व का उपभोग करने वाले हैं। ज्योति इनका रथ है अर्थात् वाहन है। ज्योति के यान पर चढ़े हुये ये स्वच्छन्द गति से सभी दिशाओं में विहार करते रहते हैं। इनकी प्रज्ञा कभी हीनता को प्राप्त नहीं होती है। ये अनागस् अर्थात् पाप से सदैव पृथक् रहते हैं। इनका शरीर प्रकाश का शरीर है। दधिरे दिविसयम्—ये छी लोक के निवासी हैं। छी लोक ही इनका निकेतन है।

मन्त्र में मुक्तात्माओं की जो विशेषताये वर्णित हैं, उनमें प्रकाश की प्रमुखता है। विकास के स्तरों में जब साधक प्रज्ञा लोक में पहुँचता है तो स्वयं प्रकाश बन जाता है। सामान्य साधक इस स्थिति में पहुँच कर गिर जाते हैं, परन्तु जिसकी भूमि दृढ़ बन गयी, वह गिरता नहीं, वही स्थिर रहता है। इसीलिये मुक्तात्माओं को आ+हि+माया कहा गया है। माया का अर्थ प्रज्ञा है। नहीं होती हीन जिनकी प्रज्ञा अर्थात् जिनके अन्दर प्रज्ञा का प्रकाश सदैव बना रहता है, वे ही दिव्य आत्मा मोक्ष पद के अधिकारी बनते हैं।

प्रकाश में विचरण करना ही स्वाधीन बनना है। जो व्यक्ति प्रकाश विहीन है उसके दर्शन तथा आचरण अधूरे रहेंगे। विश्व में मैं अनेक पदार्थों को देखता हूँ परन्तु उनपर दृष्टिमात्र जाती है, ऊपरी परत कुछ-कुछ दिखाई पड़ता है, परन्तु वह दृश्य पदार्थ वस्तुतः क्या है, उसकी अन्तरात्मा में कौन-सा तत्त्व विद्यमान है, यह दृष्टिगोचर नहीं हो पाता। इसी प्रकार मैं जो कुछ करता हूँ सामान्यतया उसका भी मुझे सम्यक् बोध नहीं होता। जब तक मेरा दर्शन तथा कर्तृत्व विचारसून्य है और प्रकाश की परिधि से बाहर है तब तक उनका होना और न होना बराबर है।

प्रकाश में सब वस्तुएँ अपने वास्तविक रूप में दिखाई देती हैं। प्रकाश में मैं जो कुछ करता हूँ उसका मुझे सम्यक् बोध होता है। अन्धकार में स्थिति इसके विपरीत होती है। मानव अपने दैनन्दिन व्यवहार में प्रायः अन्धकार में ही भटकता रहता है। विरल हैं वे मानव जो प्रकाश में विचरण करते हों।

प्रकाश की उपलब्धि साधना की उपेक्षा रखती है। दीक्षित होकर, प्रती बनकर, तप और श्रद्धा में सम्बन्धित होकर जो साधक प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, वे मोक्ष की ओर उन्मुख हैं और स्वाधीनता प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

मोक्ष का अर्थ है 'छूटना'। किससे छूटना ? पाशों से, बन्धनों से, आवरणों से जो न जाने कब से आत्मा को आवृत्त किए हुए हैं। ये आवरण तीन प्रकार के हैं। साधक इन तीनों पाशों से मुक्त होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है -

उत्तम वरुण पाशमस्मदबाधम विमध्यम श्रधाय ।

अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ ऋ० १/२४/१५

प्रभु आप वरुण हैं, वरणीय हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। आप ही पापों के वज्रक हैं, विघ्नों के निवारण करने वाले हैं। मेरे विघ्नों को भी दूर कर दो, मेरे वारकों, आच्छादकों का निवारण कर दो। मैं विघ्नबाधा-विहीन परिस्थिति में कल्याणपथ का पथिक बन सकूँ। नाथ ! परिस्थिति-जन्य विघ्नों के साथ कुछ पाशों ने भी मुझे बाध रखा है। इन पाशों से भी मुझे छुड़ा दो। ये पाश उत्तम तथा अधम कोटि के हैं। इन्होंने मुझे पापी बना दिया है। अधम पाश तमोगुण का है जो मेरे कर्तृत्व पथ में बाधक बनता है। मध्यम पाश रजोगुण का है जो मुझे अनुचित रागद्वेष का आक्षेप बनाए हुए है। उत्तम पाश सत्त्व-गुण का है जो मुझे अभिमान में मग्न करता है। इन तीनों पाशों से आप ही मुझे छुड़ा सकते हैं। इन पाशों के कारण मैं अदिति की अवस्था को अनुभव करने से वंचित हो जाता हूँ। यह स्थिति मुझे व्रत से बाहर पराङ्मुख कर देती है। हे आदित्य ! तुम्हारे व्रत से बाहर रहकर मैं प्रकाश की भूमिका में नहीं पहुँच पाता और इसी हेतु अखण्डता की अनुभूमि से पराङ्मुख रहता हूँ। कभी इस खण्ड में, कभी उस खण्ड में, कभी इस क्षेत्र में, कभी उस क्षेत्र में, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में चक्कर काटते-काटते मैं नितान्त परवश एव दीन बन गया हूँ। परतन्त्रता के थपेड़े खाते-खाते ऐसी दुर्दशा में पहुँच गया हूँ जो अब असहनीय, एकान्त असहनीय सिद्ध हो रही है। मुक्त करो, हे वरुण ! मुक्त करो। प्रकाश दो, हे आदित्य ! प्रकाश दो। माँ अदिति ! मुझे अखण्डता की ओर ले चलो।

अथर्ववेद के द्वितीय काण्ड में दशम सूक्त का नाम पाश-मोचनम् है।

इसमें आठ मन्त्र हैं जिनमें प्रथम मन्त्र परवर्ती सात मन्त्रों में प्रथम पक्ति के आधिक्य के साथ रखा गया है। यह मन्त्र नीचे उद्धृत किया जाता है—

क्षत्रियात्वा निष्कृत्या जामिशसाद्

द्रुहो मुचामि वरुणस्य पाशात् ।

अनागस ब्रह्मणा त्वा कुर्यामि

शिवे ते शावापृथिवी उभे स्ताम् ॥ अथर्व० २/१०/१

ऊपर हम प्रकाश की चर्चा कर चुके हैं। आध्यात्मिक विकास में प्रज्ञा की उपलब्धि प्रकाश की उपलब्धि है। प्रज्ञा स्वरूपतः विशुद्ध ज्ञानमयी है। ज्ञान प्रकाश ही है। सांसारिक पदार्थों का ज्ञान विज्ञान नाम से प्रसिद्ध है। विज्ञान का अर्थ ही है विविध रूप सृष्टि का ज्ञान। इसके विपरीत ज्ञान आत्मज्ञान है। एक में परिधि, ज्ञेय बनती है द्वितीय में केन्द्र, अर्थात् आत्मा। सृष्टि का विज्ञान भी हमें आत्मज्ञान तक ले जाता है, वैसे ही जैसे परिधि का एक-२ बिन्दु केन्द्र की ओर प्रतिगति में पहुँच जाता है। ऊपर उद्धृत मन्त्र में ब्रह्म अर्थात् ज्ञान द्वारा निष्पाप बन जाने की प्रतिज्ञा वर्णित हुई है।

भगवद्गीता के अनुसार—

ज्ञानाग्निं सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा । — गी०४/३७

अथवा

सर्व ज्ञानप्लवेनैव वृजिन सन्तरिष्यसि । — ०४/३६

ज्ञानाग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञानरूपी नौका पर चढ़कर हम पाप रूपी सरिता को पार कर जाते हैं। कर्मचाहे सत् ही अथवा असत्, भोगभूमि को उत्पन्न करता है। असत् कर्म का फल दुःख भोग है। सत् कर्म सुख के उपभोग की ओर जाते हैं। आत्मा इन दोनों से निर्लिप्त है। वह चैतन्यमयी तथा ज्ञानमयी है। ज्ञान का सम्पादन, ज्ञान रूपी सूर्य की एक-एक किरण, ज्ञान-अग्नि की एक-एक ज्वाला आत्म तत्त्व का व्याख्यान है। अतएव मन्त्र में ज्ञान को अनागस अथवा निष्पाप बनाने का जो साधन कहा गया है वह नितान्त उपयुक्त है। यदि मैं ज्ञान द्वारा निष्पाप बन गया हूँ तो धावा और पृथिवी दोनों ही मेरे लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। मन्त्र में वरुण के पाश से मुक्त होने का भी उल्लेख है। यह पाश क्षेत्रिय निष्कृति, द्रोह तथा बन्ध बान्धवों के अनुचित पक्षपात से सम्बन्ध रखते हैं। निष्कृति घोर कष्ट की अवस्था है।

इसका एक व्यापक रूप है और दूसरा क्षेत्रीय। मन्त्र में क्षत्रिय निष्कृति का वर्णन है जिसे व्यक्तिगत शारीरिक आपदा कहा जा सकता है। अपने बन्धु-बान्धवों का अनुचित शसन मानव में पाप की वृत्ति उत्पन्न करता है। अतः परित्याज्य है। यह द्रोह की ओर भी ले जाता है। यदि मैं अपने बन्धुओं का अनुचित पक्षपात करता हूँ, तो स्वभावतः अन्य व्यक्तियों के द्वेष का भाजन बनता हूँ। और जब अन्य व्यक्ति मुझ से द्वेष करने लगेंगे तो प्रतिक्रिया रूप में मैं भी उनसे द्वेष करने के लिए बाध्य हो जाऊँगा। यह स्थिति क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में अत्यन्त भयावह रूप धारण कर सकती है। ज्ञान इस प्रकार के रोगों की एकमात्र औषध है। 'ऋते ज्ञानान् मुक्ति' की उक्ति प्रख्यात ही है। 'विद्यया मृतमश्नुते' विद्या या ज्ञान अमृत स्वरूप मोक्ष का प्रदाता है, ऐसा वेद स्वयं कहता है।

निम्नांकित मन्त्र में मुक्ति पाने तथा अमृत को उपलब्ध करने की प्रार्थना वर्णित है -

श्वम्बक यजामहे सुगन्धि पृश्निर्वधनम् ।

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥ ऋ ०७/५६/१२

हे श्वम्बक ! हे त्रिनेत्र ! हे सर्वदर्शी ! आप शोभन गन्ध वाले हैं। आपका यश मौरभ चतुर्दिक् विकीर्ण हो रहा है। सूर्य की रश्मियाँ, चान्द्रमसी धबल ज्योत्स्ना, उषा की अरुणिमा, तारकावलि की भिलमिलाहट, पुष्पों का विकास — सभी तो आपका गुणानुवाद कर रहे हैं। महिगामय महापुरुष, मनीषी विप्र, विपश्चित् कवि अपनी-अपनी सौम्य वाग्धाराओं में, भाव भगिमाओं में, विचार वैमत्य में अनासक्त कर्मकाण्ड में आपके ही विरुद्ध का वर्णन किया करते हैं। आप की पोषण प्रदाता हैं, प्रदाता ही नहीं, उसका सबर्धन करने वाले हैं। जैसे कर्कटी (खरबूजा) का फल पकने पर स्वतः वृत्त से पृथक् हो जाता है, वैसे ही हे देव ! मुझे मृत्यु के बन्धन से छुड़ा दो और अमृतभागी बना दो।

वेद में प्रभु को कई स्थानों पर अहोमुच कहा गया है। वास्तव में पाप से छुड़ाने वाला एक मात्र प्रभु ही है। जो स्वयं नित्य अमृत है वही दूसरों को भी अमर बना सकता है। जिसके पास आनन्द है वही दूसरों को आनन्द दे सकता है। जीवात्मा सत् चित् तो है ही, साथ ही वह आनन्द का भी अभिलाषी है। यह आनन्द उमें नित्यानन्दी परमात्मा से ही प्राप्त होता है। द्विजों के लिए सध्या को, उपासना को, जो दैनिकचर्या में अनिवार्यता प्राप्त है, उमका भी

यही कारण है। हमारा ध्येय तीनों प्रकार के दुःखों से छूट कर आनन्दमयी अमृत अवस्था को प्राप्त करना है। अथर्ववेद १६/४३ में आठ मन्त्र हैं और सभी मन्त्र एक ही आकाशा प्रकट करते हैं। साधक चाहता है, उसे भी वह अवस्था प्राप्त हो जो ब्रह्मवेत्ताओं के लिए सुलभ है। दीक्षा और तप दो प्रमुख साधन हैं जो ब्रह्मवेत्ताओं को अमृत लोक में ले जाते हैं। इनके द्वारा मल क्षीण होते हैं। मनन और चिन्तन, अर्थात् लक्ष्य में विचरण करने वाले साधक में प्रज्ञा का उदय करते हैं। प्रज्ञा का यह प्रकाश आत्मा और अनात्मा की ग्रन्थि को सुलभाता है। प्रज्ञा में प्रविष्ट हुआ साधक प्रभु के अनुग्रह से आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होता है और मोक्ष फल का भागी बनता है। निम्नांकित मन्त्र में साधक की मोक्षकाशा स्पष्टतः प्रकट हो रही है—

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह ।

ब्रह्मा मा तत्र नपनु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे ॥ अथर्व० १७/४३/८

तप और दीक्षा के साथ ब्रह्म-वेत्ता जिस लोक में जाते हैं, ब्रह्मा मुझे वही पहूँचा दे। ब्रह्मा मेरे अंदर ब्रह्म को धारण करे। ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञान अनन्त है। ब्रह्म का अर्थ ही महान् तथा अनन्त है। जब तक जीव तीनों देहों से बंधा हुआ अपने को स्वल्प रूप में अनुभव करता है, तब तक वह बंधन-ग्रस्त है। इन बंधनों से मुक्त होते ही उसे आत्मस्वरूप की विशालता भासित होने लगती है। यही ज्ञान है। अज्ञान उसे प्रकृति से हटा कर ब्रह्म की ओर ले जाता है। इस ब्रह्म को ज्ञान कहिये, आनन्द कहिये अथवा सबसे ऊपर परमपद का नाम दीजिए, बात एक ही है। जैन जिस अर्हत अवस्था में पहुँचते हैं, बौद्ध जिसे प्रज्ञापारमिता का नाम देते हैं, अस्रवादी जिसे शून्य कहकर पुकारते हैं, वैदिक धर्मावलम्बी उसी को ब्रह्मलोक अथवा मोक्ष का नाम देते हैं। इस मोक्ष की आकाशा हम सबके अन्दर स्वभावतः निहित है। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी दुःखों से छूटना चाहता है। मोक्ष का अर्थ ही छुटकारा है। तीनों प्रकार के दुःखों (आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक) से जूट जाना हम सबके जीवन का एक मात्र ध्येय है। यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय में बन्धनों से छूट जाने के पश्चात् एक भावात्मक अवस्था का भी उल्लेख हुआ है। दुःखों से जूट जाना एक बात है परन्तु आनन्द की उपसव्वि कर लेना उसके उपरान्त की अवस्था है। मन्त्र इस प्रकार है -

सम्भूति च विनाश च यस्तद् वेदोभय च सह ।

विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते ॥ य०४०/११

यह मन्त्र सम्भूति और असम्भूति की त्रिपुटी का तीसरा मन्त्र है। इसी प्रकार का एक मन्त्र यजुर्वेद के इसी अध्याय में विद्या और अविद्या की त्रिपुटी के अन्त में आता है -

विद्या चाविद्या च यस्तद् वेदोभयं च सह ।

अविद्याया मृत्यु तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते ॥ य०४०/१४

असम्भूति को विनाश की संज्ञा दी गयी है। यह विनाश प्रकृति से सम्बन्ध रखता है। हमें प्रकृति से पृथक् होना है। पार्थक्य, त्याग अथवा विनाश द्वारा ही होता है। सम्भूति भावात्मक अवस्था है। उसका अर्थ ही है सम्यक् अस्तित्व अथवा शुद्ध सत्ता। आत्मा प्रकृति से छूटकर ही अपने स्वरूप में अवस्थित होती है। अविद्या का अर्थ है विद्या से व्यतिरिक्त कर्म और उपासना। प्राकृतिक दोष कई साधनों से क्षीण होते हैं। कर्म और उपासना उनमें प्रमुख हैं। मन्त्र में इसीलिए कहा गया है कि विद्या अर्थात् कर्म और उपासना द्वारा साधक मृत्यु को पार कर जाता है। मृत्यु का चक्र विविध प्रकार की योनियों में आना जाना है। मानव योनि अनेक योनियों के पश्चात् प्राप्त होती है, परन्तु इस योनि में भी कई स्तर हैं जिनमें जन्म और मृत्यु का आवागमन तब तक होता रहता है जब तक मानव देवत्व को प्राप्त न कर ले। देवत्व प्रकाश का द्योतक है। यह प्रकाश जब स्थिर हो जाता है, तब उसे वेद के शब्दों में अजस्र ज्योति, उच्चरन्त सूर्य अथवा उरु ज्योति कहा जाता है। मृत्यु को पार करके यह अजस्र ज्योति आत्मज्ञान द्वारा ही उपलब्ध होती है। जो आत्मज्ञान तक नहीं पहुँचा, आत्मस्वरूप में स्थित नहीं हुआ, यह अमृतमयी अवस्था उसके भाग्य की वस्तु नहीं है। अथर्ववेद के १६वें काण्ड के ४३वें सूक्त में अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, सोम, इन्द्र, आप तथा ब्रह्म नामों द्वारा एक विशेष क्रम का उद्घाटन किया गया है। इस क्रम को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है।

अग्नि का स्थान सर्वप्रथम है। यह अग्नि मेधा प्रदान करती है। अग्निया कई हैं, परन्तु चैतन्याग्नि इन अग्नियों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। यही मेधा की जननी है, इसी के द्वारा श्रवण और मनन अपना बनता है अर्थात् आत्मसाक्षात् होता है, उस पर अपनी छाप लग जाती है। वह दूसरों का अथवा उधार लिया हुआ नहीं जान पड़ता। आत्मिक विकास के लिए यह प्रथम सीढ़ी है। अग्नि के उपरान्त वायु का स्तर आता है। वायु प्राण प्रदान करती है।

प्राण आत्मा की ही छाया है और मेघा से पूर्व स्थिति रखता है। मेघा प्राण के आश्रय से ही अभिव्यक्त होती है। प्राकृतिक सर्ग में भी यही क्रम है। प्रकृति का प्रथम स्मन्द ही प्राण है। महत् तत्त्व जो मेघा और बुद्धि का व्यापक कोष है, प्राण शक्ति के उपरान्त ही आविर्भूत होता है। इसके पश्चात् सूर्य तत्त्व आता है जिससे चक्षु अर्थात् दर्शन शक्ति प्राप्त होती है। दर्शन द्रष्टा के साथ रहता है। इस दर्शन में प्रकृति और आत्म तत्त्व पृथक-पृथक भासित होने लगते हैं। सूर्य के पश्चात् चन्द्र आता है। चन्द्र मन प्रदान करता है। यह मन चन्द्र का, आह्लाद का जनक है, ऐसा पुरुष सूक्त में कहा गया है। इसके पश्चात् सोम का स्थान है जो पय अर्थात् रस का प्रदाता है। 'रसो वै स' कह कर तैत्तिरीय उपनिषद् ने जिस रस का नाम लिया है उसी की सजा पय है। अथर्ववेद भी १८/१/४८ में प्रभु को मधुमान् तथा रसवान् कहता है। इस रस से भी ऊपर इन्द्र है जो इन्द्रियो का, देवो का अधिपति है। देव इस रस का आस्वादन करते हैं, परन्तु तभी जब इन्द्र का बल उनके साथ हो। आत्मबल की अनुपस्थिति में रस का आस्वादन नहीं किया जा सकता। वेद ने 'अपाम सोमम् अमृता अभूम' कह कर जिस सोम पान का वर्णन किया है वह यही रस है। आत्मबल के ऊपर आपः शक्ति है। यह व्यापक भूमा अवस्था की शोतिका है। जिसे हम मोक्ष कहते हैं उसकी व्यापकता की अनुभूति इसी आप अवस्था में होती है। अन्तिम स्तर पर ब्रह्म आता है। ब्रह्मलीनता विरल साधको की प्राप्तव्य मूर्ति है। इस क्रम पर यदि पाठक गम्भीरता से विचार करेंगे तो ऊँचे विविध साधन-भूमियों के सामजस्य का किञ्चित् आभास प्राप्त हो सकेगा। मोक्ष हमारे चतुर्वर्ग में अन्तिम तत्त्व है और मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे निखिल साधन-समुदाय है।

—वेदवाणी १९/१ : नव० १९६६ से साभार

आर्यसमाज : एक शताब्दी की उपलब्धियां

छे०—आ० भवानीलाल भारतीय

एम० ए०, पी—एच० डी०

भारत में आर्यसमाज संस्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—

शताब्दियों की राजनीतिक पराधीनता ने भारतीय समाज को विकार ग्रस्त बना दिया था। राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक उत्पीड़न तथा आत्मबोध के अभाव ने भारतवासियों में जिस हीन भावना को जगृत किया उसका सहज ही उन्मूलन होना कठिन था। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक पहुंचते-पहुंचते स्थिति और भी भयावह बन गई। मुगल साम्राज्य के विघ्न-भिन्न हो जाने के पश्चात् उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता ने देश के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को विघटित कर दिया। अराजकता, असुरक्षा तथा अस्थायित्व के भाव भारतीय जन समाज में पनपने लगे और ऐसा प्रतीत होता था कि यदि शीघ्र ही शासन की स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा तथा वैयक्तिक और समष्टिगत अधिकारों की रक्षा का आश्वासन नहीं मिला तो देश का भविष्य अधकारपूर्ण हो जायेगा।

विदेशी शासन से उत्पन्न पराधीनता के भावों ने हिन्दू समाज को विकार ग्रस्त ही नहीं बनाया, हिन्दुओं के धार्मिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मानदण्डों की भी अपूरणीय क्षति की। सहस्राब्दियों पूर्व के वैदिक, औपनिषदिक तथा रामायण महाभारत कालीन समाज में लोगों की इहलोक और परलोक के प्रति जो स्वस्थ दृष्टि थी वह तो अतीत की वस्तु हो ही गई, मौर्य और गुप्त युगीन भौतिक समृद्धि तथा वैभव, कलात्मक अभिरुचि, साहित्य, संगीत, काव्य और स्थापत्य के क्षेत्र में महती उपलब्धियां और बृहत्तर भारत के समुद्र पारीय देशों पर भारत की सांस्कृतिक विजय के तथ्य भी अब केवल इतिहास में लिखने योग्य ही रह गये। धर्म, समाज, और सामान्य जनजीवन के क्षेत्र में

पराधीनता की काली घटाओं ने आपत्ति विपत्ति और अभिघापो की उपलब्धि की उससे जनता के दुःख और कष्ट ही बढ़े। धर्म के नाम पर थोथा कर्मकाण्ड, नैतिकता के नाम पर मिथ्या और मूढ़ विश्वासों का प्रचलन तथा सुसंगत सामाजिक विधान के स्थान पर कठोर वर्जनाये और नियंत्रण इन युग की कतिपय विकृतिया थी। लोगों का चिन्तन इतना विकारग्रस्त एवं दूषित हो गया था कि वैचारिक उन्नतता के स्थान पर कट्टर सकीर्णता तथा अनुदारता के भावों का ही प्रसार हुआ। फलतः समाज में बाल विवाह का प्रचलन, विधवाओं पर अत्याचार, बहु विवाह की स्वीकृति, स्त्रियों की शिक्षा पर प्रतिबन्ध तथा उन्हें पर्दे के पीछे रखे जाने की प्रथा, जन्म के आधार पर स्पृश्या-स्पृश्य की भावना तथा कन्या बध, सती दाह आदि नारी वर्ग के प्रति असीम अत्याचारों का विधान स्वीकृत हुआ। इन सामाजिक कुरीतियों ने हिन्दू समाज की एकता को विभ्रंजित कर दिया जिसका एक अवश्यम्भावी परिणाम हुआ सहस्रों जातियों और उजातियों की सकीर्ण काराओं में बधकर समाज का छिन्न-भिन्न और अस्त-व्यस्त हो जाना।

इसी समय भारतवासियों का पश्चिम से सम्पर्क हुआ। यूरोपीय राष्ट्रों ने धीरे-धीरे भारत में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। पुर्तगाली, फ्रान्सीसी और अंग्रेजी उपनिवेशों की स्थापना इस देश में हुई। राष्ट्रों की इस होड़ में अंग्रेज जाति ही सर्वाधिक शक्तिशाली प्रमाणित हुई और अंग्रेजों को ही भारत में साम्राज्य स्थापित करने का अवसर मिला। अंग्रेजी शिक्षा, शासन तथा सभ्यता से प्रभावित होने वाला भारत का सर्वप्रथम प्रान्त बंगाल था। अठारहवीं शताब्दी का वह धूमिल सध्याकाल था। नवयुग के आगमन की ज्योति बेला सन्निकट थी।

विदेशी सस्कृति से भारत का सम्पर्क और उसका दूषित प्रभाव—

अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के साथ-साथ पाश्चात्य सभ्यता को भी आधी आई और उसने भारतीय जनमानस को बुरी तरह भ्रूणभोर दिया। भारतवासी राजनैतिक दृष्टि से तो दास बने ही उनकी नैतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। देश एक अग्रभूतपूर्व सांस्कृतिक सकट से गुजर रहा था। पश्चिम के इस सम्पर्क का भारतवासियों पर द्विविध प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव को श्रेयस्कर और स्पृहणीय इस अर्थ में कहा जा सकता है

कि इससे भारतवासियों में स्वतंत्रता, समानता, बबुत्व के भावों का उदय हुआ। इस समय तक यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म हो चुका था। धार्मिक स्कीर्णता के भाव समाप्त हो रहे थे। फ्रांस की राज्य क्रान्ति तथा अमेरिका के स्वातंत्र्य युद्ध ने लोगों में प्रजातंत्र के भाव उत्पन्न किये और व्यक्तिगत स्वाधीनता का उद्योष हुआ। उधर इंग्लैण्ड तथा यूरोप के अन्य देशों में औद्योगिक क्रान्ति हुई जिसने समाज के ढाँचे में प्रभावी परिवर्तन किये। लोगों के सोचने की दृष्टि बदली तथा युग के दार्शनिक विचारक और चिन्तक यह अनुभव करने लगे कि मध्यकालीन स्कीर्णता और कट्टरता का युग समाप्त हो गया है तथा विज्ञान एवं बुद्धिवाद पर आश्रित नवीन युग बोध का उदय हो रहा है।

यूरोपीय राष्ट्रों के सम्पर्क, विज्ञान के रेल, तार, डाक आदि नूतन आविष्कारों के प्रसार तथा पश्चिमी शिक्षा ने हमारे अधविश्वासों और रुढ़िगत कदाचारों पर निर्मम प्रहार किया और हमें उदार तथा व्यापक दृष्टि अपनाने के लिये विवश किया। भारतवासियों में राष्ट्रीय भावों का उदय हुआ, उन्होंने समष्टिगत दृष्टि से सोचने का प्रयत्न किया पलत वैयक्तिक वैचारिक स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करने की प्रेरणा भी उन्हें मिली। इन सब का यह परिणाम निकला कि शताब्दियों से प्रचलित गतानुगतिकता, रुढ़िवाद एवं कुरीतियों के बंधनों से मुक्त होने के लिये उनका मन व्याकुल हो उठा।

यह सब कुछ होने पर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इस विदेशी सम्पर्क का हम पर सर्वथा अनुकूल प्रभाव ही नहीं पड़ा, हममें अन्धानुकरण, परमुखापेक्षिता तथा स्वाभिमान शून्यता के भाव बढ़ने लगे। यद्यपि समाज में एक ऐसा वर्ग भी था जो अधविश्वास, परम्परा पालन तथा वैचारिक जडता से विपके रहने में ही अपना हित समझता था जबकि पश्चिमी सम्पर्क से प्रभावित नवयुवक वर्ग ने प्रत्येक स्वदेशी वस्तु को हेय मानकर प्रत्येक बात में अपनी अनुकरण वृत्ति को मुख्यता देते हुए विदेशी वर्ग की ओर सतृष्ण नेत्रों से देखने में ही अपनी सार्थकता मान रखी थी।

पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव

पश्चिमी शिक्षा तथा ईसाई धर्म प्रचारकों के कार्य ने हमारे राष्ट्रीय

स्वाभिमान को और भी कुचल डाला। विजयो राष्ट्रों की यह सदा की प्रवृत्ति रही है। कि पराजित राष्ट्र को न केवल राजनीतिक दृष्टि से ही पगु बनाया जाये, अपितु भाषा, भाव और आचार विचार का दासत्व भी उन पर थोप दिया गया। इसके लिये सर्वप्रथम वे पराजित राष्ट्र पर अपनी शिक्षा प्रणाली थोपते हैं। इसका सुनियोजित परिणाम थोड़े समय के भीतर ही प्रकट होने लगता है। अंग्रेजों ने भी भारत में यही किया। उन्होंने भारत को राजनीतिक दृष्टि से तो दास बनाया ही उनकी यह भी चेष्टा रही कि शिक्षा, सम्भ्यता, धर्म, और विचारों की दृष्टि से भी भारतवासी अपने शासकों का मुह जौहने वाले बन जायें। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये उन्होंने अंग्रेजी डग के स्कूल और कालेज स्थापित किये तथा उनमें पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का प्रारम्भ कर भारतवासियों को हीन सत्व, स्वाभिमान शून्य तथा पाश्चात्य जीवन प्रणाली का अनुगामी बताया। लार्ड मैकाले द्वारा निर्धारित इस शिक्षा योजना ने भारतीयों के स्वात्मबोध को सर्वथा नष्ट कर दिया। जिस शिक्षा का उद्देश्य ही एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना था जो आचार विचार बुद्धि और मन से अंग्रेज होने का दम भरे उससे अधिक आशा रखना ही व्यर्थ था। मैकाले के उस प्रसिद्ध पत्र की वह उद्धृत पक्तियों का उपर्युक्त भाव यह स्पष्ट सूचित करता है कि इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में उसका मूल उद्देश्य क्या है ?

लार्ड मैकाले को अपनी शिक्षा विषयक नीति की सफलता में पूर्ण विश्वास था। तभी तो अपने पिता को १८३६ ई० में लिये गये एक पत्र में उसने यह विश्वास व्यक्त किया कि जो भी हिन्दू अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर लेता है वह अपने धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास खो बैठता है। कुछ केवल दिखावे के रूप में उसे मानते हैं, कतिपय अन्य ईसाई हो जाते हैं। वह मेरा सुनिश्चित विश्वास है कि यदि शिक्षा की हमारी यह योजना पूरी तरह काम से लाई गई तो अब से तीस वर्ष पश्चात् बंगाल के कुलीन वर्ग में कोई मूर्तिपूजक (हिन्दू) नहीं रहेगा।

इस प्रकार सरकारी शिक्षण संस्थाओं में जहाँ अंग्रेजी शिक्षा के कीटाणु भारतवासियों के जात्याभिमान और अस्मिता को नष्ट कर रहे थे वहाँ विदेशी शासकों की सहानुभूति और संरक्षण पाकर ईसाई धर्म प्रचारक भी धर्म प्रचार की ओर में उन्हें अधिकाधिक पश्चिमाभिमुख बनाने का प्रयास कर रहे थे। इन कथाकथित धर्म प्रचारकों ने जनमानस को हीनभाव से ग्रस्त तथा दुर्बल ही बनाया।

पुनर्जागरण के आन्दोलनों का प्रादुर्भाव

ऐसी ही परिस्थिति में देश में धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के आन्दोलनों का उदय होना स्वाभाविक ही था। नवोदय के आन्दोलनों का उद्देश्य था भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता की व्याधि को समाप्त कर भारत की युवक शक्ति को पश्चात्य सभ्यता के विनाशकारी प्रभाव से बचाते हुए देश की अस्मिता को सुरक्षित रखना। इन आन्दोलनों के द्वारा समाज में प्रचलित बाल, अनभेन, और वृद्ध विवाह, विधवा विवाह निषेध, पर्दा प्रथा, समुद्र यात्रा अस्वीकार आदि सामाजिक रूढ़ियों और कदाचारों को उन्मूलित करने की चेष्टा की गई। समाज के क्षेत्र में ही नहीं, धर्म के क्षेत्र में भी मूल्यों का पुनर्विवेचन किया गया। उसे युग के अनुसार ढालने का प्रयास तो हुआ ही, साथ ही इस बात पर विचार किया कि क्या बाह्याचारों, रूढ़ियों और स्थूल कर्मकाण्डों को ही सजा दी जा सकती है अथवा धर्म के उदात्त एवं महनीय तत्त्व और ही हैं जो सत्य, अहिंसा, क्षमा, करुणा, सर्वभूत हित जैसे दिव्य गुणों में विद्यमान रहते हैं।

भारतीय समाज को रूढ़ि मुक्त बनाने का एक उपाय यह भी था कि देशवासियों का ध्यान भारत के उस सुदूर अतीत की ओर सींचा जाये जो अत्यन्त प्रोज्ज्वल, सत्व प्रधान तथा वर्चस्व पूर्ण था। नवोदयवादियों ने यही किया। लगभग सभी नवोत्थानवादी नेताओं ने अतीत की स्वर्णिम पृष्ठभूमि पर ही नव निर्माण की बात कही। भारतीय नव जागरण के पितामह राजा राममोहन राय ने उपनिषदों में व्याख्यात अध्यात्म तत्त्व को अपने मनन और चिन्तन का आधार बनाया। पुनर्जागरण के सर्वाधिक शक्तिशाली ज्योतिर्धर महर्षि दयानन्द ने भी वेदों की ओर लौटने की बात कही। वेदों की सुदृढ़ आधार भूमि पर ही उन्होंने हिन्दू समाज को सगठित करने का प्रयास किया। उन्होंने आर्यसमाज की स्थापना कर भारतीय पुनर्जागरण को एक निश्चित दिशा प्रदान की।

आर्यसमाज के सिद्धान्त, कार्य और उपलब्धियाँ

विक्रम की बीसवीं शताब्दी में विज्ञान और बुद्धिवाद के आधार पर पुरातन आर्य धर्म और भारतीय सस्कृति की मान्यताओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये जिन सुधार आन्दोलनों का भारत में जन्म हुआ, उनमें आर्यसमाज

अन्यतम था। महर्षि दयानन्द ने अपने भक्तों और मित्रों के आग्रह पर चंद्र शुक्ला प्रतिपदा स० १९३२ वि० के दिन गिरगाव बम्बई में पारसी डा० भागेंक जी के उद्यान में आर्यसमाज की स्थापना की। समाज के सिद्धान्तों और विधानों को २८ नियमों में निबद्ध किया गया। प्रारम्भ में ही महादेव गोविन्द रानाडे, गोपालराव हरिदेशमुख, सेवकलाल कुष्णदास, गिरधरलाल दयालदास कोठारी आदि कई प्रतिष्ठित पुरुष आर्यसमाज के सभासद बने। यहाँ २० ब० मूलराज तथा लाला साईदास जैसे कर्मठ सहयोगी आर्यसमाज के सस्थापक को मिले। यही पर ही आर्यसमाज के नियमों और उद्देश्यों को उसके विधान से पृथक् किया गया और समूह सम्बन्धी सर्वधानिक धाराओं को उपनियमों के रूप में पृथक् किया गया। स्वामी दयानन्द के जीवनकाल में ही आर्यसमाज का सार्वत्रिक प्रचार हुआ, देश के सभी भागों में उसकी शतशः शाखाएँ स्थापित हुईं और सहस्रों व्यक्ति आर्यसमाज के सभासद बने।

पुनरुत्थानवादी दृष्टि लेकर चलने वाला आर्यसमाज अपने समसामयिक (पूर्ववतो ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज तथा परवतो थियोसोफिकल सोसाइटी तथा रामकृष्ण मिशन) आन्दोलनों की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील एवं यथार्थवादी सिद्ध हुआ। आर्यसमाज ने वेदों के आधार पर धर्म के सिद्धान्तों की नवीन व्याख्या की और बताया कि धर्म का अभिप्राय केवल रुढ़िगत विचारों का अनुसरण करते हुए क्रियाकाण्डों के पालन में ही नहीं है, अपितु धर्म उन उदात्त गुणों की समिष्ट का नाम है जो मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान में सहायक होते हैं। आर्यसमाज की यह भी मान्यता रही है कि भारत के मूल निवासी आर्यों ने अपने ग्रन्थों में धर्म और नैतिकता के जिन सिद्धान्तों को सूत्रित किया था वे सर्वकाल और सर्वदेशों में उपयोगी हैं। अतः आर्यसमाज वेदों और उपनिषदों तथा अन्य ऋषि प्रोक्त ग्रन्थों में प्रतिपादित उस नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा का धर्म के नाम पर प्रचार करना चाहता है जिसमें विश्व बन्धुत्व तथा मानव प्रेम के सूत्र गुम्फित हैं।

आर्यसमाज ने अपने सिद्धान्तों को देश और काल सापेक्ष नहीं बनाया। उसके छोटे नियम के अनुसार सत्कार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य बताया गया है और मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आत्मिक उन्नति को सर्वोपरि लक्ष्य ठहराया गया है। मानव ही नहीं अपितु प्राणिमात्र के हित को अपना ध्येय मानते हुए भी आर्यसमाज की शिक्षाओं का राष्ट्रहित से कोई विरोध नहीं है। अपितु पुनर्जागरण के अध्येता विद्वानों का

यही निश्चित मत है कि आर्यसमाज के द्वारा देश का जो व्यापक हित साधन हुआ है उसे ही उसकी लोक प्रियता तथा सफलता का मूल कारण समझना चाहिये । ब्रह्मसमाज आदि संस्थाये जहाँ एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति के अभाव में काल कवलित हो गई वहाँ आर्यसमाज ने धर्माचरण तथा राष्ट्र सेवा को सदा अभिन्न समझा । देश के राष्ट्रीय जागरण और स्वाधीनता प्राप्ति के पुनीत कार्य में आर्यसमाज के अनुयायियों का उल्लेखनीय योगदान रहा है ।

आर्यसमाज और समाज सुधार—

इतिहास के अध्येताओं ने आर्यसमाज का उल्लेख समाज सुधार क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में किया है । आर्यसमाज के सुधार आन्दोलन ने उत्तर भारत के जन-जीवन को किस प्रकार और कहा तक प्रभावित किया है, इसका यथार्थ मूल्यांकन अभी होना शेष है । विवाह प्रथा में समुचित सुधार, वर्णाश्रम व्यवस्था की वैज्ञानिक व्याख्या, अस्पृश्यता निवारण, नारी शिक्षा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें आर्यसमाज का कर्तृत्व अपने वस्तुनिष्ठ रूप में अभिव्यक्त हुआ है । विशेषतः हिन्दू समाज में व्याप्त अस्पृश्यता के अभिघाप को दूर करने तथा दलित एवं पिछड़ी जातियों को उच्च वर्ग के लोगों के समान स्तर पर लाने के लिये आर्यसमाज के प्रयास सर्वथा श्लाघनीय रहे हैं । स्वयं महात्मा गांधी ने ऋषि दयानन्द की अर्द्ध निर्वाण शताब्दी के अक्षर पर यरवदा कारागार से प्रेषित अपने सन्देश में कहा था—“ऋषि दयानन्द ने हमारे लिये जो मूल्यवान् विरासते छोड़ी हैं उनमें अस्पृश्यता के विरुद्ध उनका उद्घोष सर्वप्रमुख है ।”

यद्यपि यह कहना कठिन है कि समाज सुधार का कार्य पूर्णतया समाप्त हो गया, तथापि यह निश्चित है कि जन सामान्य में समाज सुधार के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना तथा लोगों के दृष्टिकोण में उदारता एवं प्रगतिशीलता संचरित करना आर्यसमाज की एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही । आज भी सामाजिक वैषम्य समाप्त नहीं हुआ है, जातपात के दलदल से निकल कर हिन्दू समाज अपने आपको सुसंगठित इकाई के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सका है फिर भी आर्यसमाज ने जो कुछ किया, उसका महत्त्व सुस्थिर है । महर्षि दयानन्द ने जिस अज्ञान, अन्याय और अभावों से रहित, अंधविश्वास एवं मूढ़ आचार विचारों से सर्वथा मुक्त समाज की कल्पना की थी उसे चरितार्थ करने के लिए आर्यसमाज को एक बार पुनः तत्परता के साथ सुधार और संस्कार का

कार्य अपने हाथ में लेना होगा। आज परिस्थितियाँ परिवर्तित हो चुकी हैं। आज के पचास वर्ष पूर्व अछूतोंद्वारा तथा नारी शिक्षा के लिये जहाँ आर्य-समाज को शास्त्रार्थ, उपदेश और बहस मुबाहिसे करने पड़ते थे वहाँ आज या कार्य जन शिक्षण तथा शासन के नियमों के अधीन हो रहा है परन्तु यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि नये-नये मत पथ, आडम्बर तथा अंधविश्वासों का क्षितिज पुनर्पिक्षा अधिक व्यापक ही हुआ है। महर्षि दयानन्द का स्वप्न तभी पूर्ण होगा जब आर्यसमाज वर्तमान युग में व्याप्त नाना साम्प्रदायिक बाह्य-दम्बरो एवं मूढ विश्वासों को समाप्त कर सकने में समर्थ हो सकेगा।

आर्यसमाज और राष्ट्रियता—

आर्यसमाज के प्रवर्तक ऋषि दयानन्द ने अन्य धर्माचार्यों से सर्वथा भिन्न अपने राजनैतिक एवं राष्ट्रीय विचारों को स्पष्ट रीति से अभिव्यक्त किया। वे मूलतः राष्ट्रवादी थे। उनकी राष्ट्रीय संवेदना की प्रशंसा करते हुए योगी श्ररविद ने एक स्थान पर लिखा है—

दयानन्द ने राष्ट्रीय चेतना की और वे उसे उदीप्त कर सके थे। सुप्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान् रोम्यां रोलॉ का भी यह दृढ़ विश्वास था कि दयानन्द भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत था और उसने भारत की राष्ट्रीय चेतना को जमाने का अद्भुत कार्य किया। होम रूल लीग की अध्यक्षता श्रीमती ऐनी बेसेन्ट ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि ऋषि दयानन्द ने प्रथमतः भारत भारतवासियों के लिये ही की घोषणा की।

अपने सत्स्थापक के स्वातन्त्र्य प्रेम तथा देशभक्ति के भावों से प्रेरणा लेकर आर्यसमाज ने अपने शैशव काल से ही भारत के स्वाधीनता सपना में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। यद्यपि आर्यसमाज एक विशुद्ध धार्मिक आन्दोलन होने तथा अपनी सार्वभौम और सार्वकालिक संरचना को सुरक्षित रखने के कारण वह किसी देश विशेष की सामयिक राजनीति में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेता तथापि उसके अनुयायियों ने भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में सर्वात्मना भाग लेकर अपने आचार्य की भावनाओं का ही आदर किया है। श्याम जी कृष्ण वर्मा, लाला लाजपत राय, सूफी अम्बाप्रसाद, गेदालाल दीक्षित, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल आदि क्रान्तिकारी देशभक्त आर्यसमाज से ही प्रेरणा लेकर देश के लिये आत्म त्याग और बलिदान करने में समर्थ हुए थे। आज भी आर्यसमाज के साधारण सदस्य देशभक्ति और राष्ट्र सेवा में किसी से पीछे नहीं हैं। आर्यसमाज शताब्दी समारोह अनुत्तर में भाषण देते हुए पञ्जाव

के मुख्यमन्त्री ज्ञानी जैल सिंह ने ठीक ही कहा था कि देशभक्त आर्यसमाज ने उत्पन्न किए हैं उतने किसी अन्य संस्था ने नहीं ।

आर्य समाज और शिक्षा—

शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्यसमाज का योगदान कम नहीं है । आर्यसमाज के स्थापक ने अपने ग्रन्थों में शिक्षा विषयक जिस निति का प्रवर्तन किया था उसे पुष्पित और पल्लवित करने का प्रयत्न कालान्तर में हुआ । डी. ए. वी. कालेज आन्दोलन का सर्वत्र प्रसार इस बात का द्योतक है कि आर्यसमाज ने शिक्षा विषयक पौरस्त्य और पाश्चात्य, शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों के समन्वय का प्रयास किया है । महान् शिक्षाशास्त्री स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा गुरुकुल की स्थापना इस तथ्य का सूचक है कि दयानन्द निर्दिष्ट शिक्षा पद्धति केवल कल्पना अथवा अव्यावहारिक न होकर सर्वथा वास्तविक एवं व्यवहारोपयोगी है । वस्तुतः रवीन्द्रनाथ ठाकुर की विश्वभारती, वाराणसी की काशी विद्यापीठ तथा असहयोग आन्दोलन के युग में स्थापित शिक्षण संस्थाएँ मूलतः गुरुकुलों के आदर्श पर ही स्थापित की गई थी ।

आज भी आर्यसमाज प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया स्व संचालित शिक्षण संस्थाओं पर व्यय करता है । उसकी पर्याप्त शक्ति और श्रम गुरुकुलों तथा कालेजों के संचालन में लगता है, परन्तु इन शिक्षण संस्थाओं का आनुपातिक लाभ आर्यसमाज को नहीं मिल पाता । अतः आवश्यकता इस बात की है कि एक समन्वित शिक्षा पद्धति के रूप में आर्यसमाज अपनी शिक्षा नीति का पुनर्निर्धारण करे । इनमें प्राचीन आश्रम प्रणाली अनुरूप छात्रों के वैयक्तिक, चारित्रिक गुणों का समुचित विकास जिस प्रकार अभीष्ट है, उसी प्रकार नवीन ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के महत्त्व को भी स्वीकार किया जाना आवश्यक है । आर्य समाज की शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थी की मातृभाषा तथा राष्ट्र भाषा हिन्दी को शिक्षा के माध्यम के रूप में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी । अतः यदि आर्यसमाज अपने स्थापक के शिक्षा विषय आदर्शों को वास्तविक रूप में क्रियावित करना चाहे तो यह अत्यन्त उपयुक्त होगा कि वह आर्य ज्ञान के भाण्डागार संस्कृत वाङ्मय के अध्ययन और अध्यापन के साथ-साथ भौतिक विज्ञान (स्वामी दयानन्द के शब्दों में पदार्थ विद्या) की सभी शाखाओं के अध्ययन अध्यापन की एक समन्वित प्रणाली पर बल दे ।

स्मारिका दिस० १९७५ से साभार ।

वैदिक शिक्षा राष्ट्रीय कार्यशाला की प्रमुख संस्तुतियां :-

१. समग्र शिक्षा के उद्देश्य की सफलता "मातृमान पितृमानाचार्यवान् पुण्यो वेद" के संदेश को आमुख रखते हुए माता, पिता एवं आचार्य के सम्मिलित प्रयत्न से ही संभव है। अतः प्रत्येक गृहस्थ बालक के प्राथमिक निर्माण शाला हैं। इस हेतु 'माता निर्माता भवति' के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए नारी शिक्षा पर सर्वप्रथम बल दिया जाना चाहिये।
२. आचार्य शिष्य का संबध गर्भस्थ शिशु की तरह अंतरंग होना चाहिये। प्रत्येक अध्यापक छात्रों के एक छोटे समुदाय के सवतोमुखी विकास के लिये उत्तरदायी होना चाहिये। छात्र-अध्यापक संबध कक्षा तक सीमित न हो कर जीवत पर्यन्त अतरन्तम स्तर तक होने चाहिये।
३. बच्चों में अनुकरण की सहज जात प्रवृत्ति होती है। अतः माता, पिता और आचार्य को अपने स्वयं के आचार, विचार और व्यवहार पर पूरी निगरानी रखनी चाहिये।
४. प्रत्येक अध्यापक और छात्र को दैनिक कार्यों का लेखा जोखा डायरी में लिखना चाहिये तथा इस प्रक्रिया को शिक्षा का अनिवार्य अंग स्वीकृत किया जाये। जिससे कि इनमें आत्मदर्शन एवं आत्म निरीक्षण की प्रवृत्ति उजागर हो सके।
५. कोई भी नागरिक आठ वर्ष के पश्चात् यदि अपने बच्चों को पाठशाला न भेजे तो उसे कानूनी दृष्टि से दण्डनीय घोषित किया जायेगा यद्यपि राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों की यह नीति है कि प्रत्येक ५ वर्ष का बालक पाठशाला में जाये लेकिन बहुधा यह देखा गया है कि निर्धन वर्ग के बच्चे बीच में ही पाठशाला छोड़ देते हैं। शिक्षा में फँसे इस भयंकर अपव्यय एवं अवरोधन के निदान हेतु यह कार्यशाला निम्न संस्तुतियां

करती है-

- क- आधुनिक पाठविधि में अर्थकरी एवं लाभकारी शिक्षा का समावेश किया जाये ।
- ख- शिक्षा संस्थानों को रुचि बंधव्यपूर्ण एवं आकर्षक बनाया जाये ।
- ग- खेल-२ में शिक्षा देने की प्रणाली का विकास किया जाये ।
- घ- पौष्टिक आहार की निःशुल्क व्यवस्था की जाये । समय-२ पर पाठ-शालाओं बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये ।
- च- अभिभावकों को रात्रि पाठशालाओं द्वारा शिक्षित कराया जाये ।
- छ- निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाये ।
- ज- माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा में छात्र के त्रस्वालबन की ऐसी क्षमता का निर्माण अवश्य हो जाना चाहिये जिससे वह कुटीर उद्योगों एवं हस्तकलाओं के आधार पर स्वतंत्र रूप से उपाजन के योग्य बन सके ।
६. अनिवार्य शिक्षा योजना के महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय जीवन में निहित शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों की विशाल जन-शक्ति को इस महती कार्य में लगा दिया जाना चाहिये इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक शर्त होनी चाहिये जिसमें छात्र द्वारा देहात में कम से कम एक वर्ष शिक्षा के प्रसार कार्य में लगाया गया हो ।
- ७ प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास हेतु अर्थात् प्रजातंत्र को ठोस रूप में स्थापित करने हेतु यह आवश्यक है कि राजा और रक तक शिक्षा दीक्षा एक जैसी हो । उच्च श्रेणी एवं निम्न श्रेणी के स्कूलों का वर्गीकरण समाप्त होना चाहिये । पब्लिक स्कूलों तथा सरकारी म्युनिसिपल एवं पंचायत स्कूलों में विषमता समाप्त होनी चाहिये । इस कार्य को मूर्त रूप देने हेतु व्यापक रूप से मौहल्ला पाठशालाओं के सिद्धांत को सक्रिय रूप से अग्रनाया जाये । ग्राम, मौहल्ला पाठशालाओं के सम्बन्ध में विशेष

सस्तुतियां—

- ७-१ साधनो को जुटाने की दृष्टि से सम्भ्रात वर्ग में बच्चों से फीस ली जाये तथा निर्धन वर्ग के बच्चो को शुल्क मुक्ति दी जाये ।
 - ७-२ शिक्षा का स्तर एक जैसा हो । वेशभूषा की समानता हो ।
 - ७-३ प्रत्येक मौहल्ला/ग्राम स्कूल की यह जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वह आस पास के वातावरण को स्वच्छ रखे । पेड़ पौधों को लगायें । मुहल्ले को साफ रखने का अभियान चलाये ।
 - ७-४ हर पाठशाला अपने मौहल्ले मे एक ज्योतिस्तम्भ के रूप में कार्य करे ।
८. बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए तथा मिडिल स्तर तक की शिक्षा में उसको राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त अन्य एक भाषणीक शिक्षा दी जानी चाहिये । उच्चतम शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा हो इसलिये हिन्दी भाषा को विज्ञान एवं साहित्य से अधिकाधिक समृद्ध किया जाना परम आवश्यक है । विज्ञान के उच्चतम एवं मूल ग्रन्थो को हिन्दी मे अनुदित करने हेतु पतनगर कृषि विश्वविद्यालय की प्रणाली पर देश के प्रमुख विश्वविद्यालयो मे अनुवाद एवं प्रकाशन निर्देशालयो की स्थापना की जानी चाहिये जिससेविज्ञान आदि विषयो की पुस्तको का हिन्दी मे अभाव न हो । हिन्दी मे प्रकाशित श्रेष्ठ वैज्ञानिक साहित्य पर राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर साहित्य अकादमियो द्वारा पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये ।
९. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के जिस प्रकार सभी प्रकार के प्रशासनिक एवं व्यवस्था सबधी कार्य गत ८० वर्षों से हिन्दी मे किये जाने की परम्परा है उसी तरीके पर देश के समस्त विश्वविद्यालयो मे एवं विभिन्न सरकारी कार्यालयो मे समस्त प्रशासनिक कार्य हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं मे ही कराये जाने पर बल दिया जाना चाहिये ।
१०. विश्वविद्यालय की शिक्षा केवल विषय की अत्यधिक विशेषज्ञता प्राप्त करने हेतु जिज्ञासु छात्रो के लिये ही होनी चाहिये ।

११. डिग्री के आधार पर सेवाओं में नियुक्ति की प्रक्रिया के स्थान पर उपार्जित योग्यता के आधार पर विभिन्न सेवाओं में अथवा शिक्षा के उच्च स्थापनों में नियुक्ति की जानी चाहिये। जिससे डिग्री लेने की होड़ को समाप्त किया जा सके। इसी से येन केन प्रकारेण डिग्री एवं डिग्रीजन लेने की प्रवृत्ति पर अकुश लग सकेगा।
१२. वर्तमान परीक्षा प्रणाली के स्थान पर मूल्यांकन का आधार आंतरिक, बाह्य एवं साक्षात्कार के आधार पर नियत किया जाना चाहिये १०० पूर्णांकों में से आंतरिक मूल्यांकन के ३०, बाह्य के ५० तथा साक्षात्कार के २० अंक निर्धारित किये जाने चाहिये। १०० पूर्णांकों में अंक देने के स्थान पर ग्रेडिंग प्रणाली (क, ख, ग,) के प्राथम में लागू की जानी चाहिये। आकस्मिक परीक्षाएँ भी बिना पूर्व सूचना के कराये जाने का प्रावधान होना चाहिये।
१३. शिक्षकों एवं छात्रों के हृदयताल एवं सगठन आदि बनाने पर अविलम्ब प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। शिक्षण कार्य को आवश्यक सेवाओं में समाविष्ट किया जाना चाहिये।
१४. कम से कम वर्ष में २०० दिन वास्तविक रूप से अध्ययन अध्यापन होना चाहिये।
१५. वर्तमान प्रचलित शिक्षा क्रम में अभिभावक की भूमिका को सबसे नगण्य रखा हुआ है जब कि शिक्षा के सारे व्यय की जिम्मेदारी उस पर है। छात्रों की अनुशासन हीनता पर नियंत्रण हेतु माता न पिता से सतत सम्पर्क स्थापित रखना चाहिये तथा अधिकाधिक रूप से छात्र के आचार, व्यवहार को रिपोर्ट अध्यापक द्वारा उसके पिता को विशेष कर जन्मदात्री माँ को समय समय पर अवगत कराते रहना चाहिये। बहुधा यह देखा गया है कि स्वल्प से उदण्ड शरारती छात्र भी माता पिता को सूचना दिये जाने पर सर्वाधिक भय खाता है। अध्यापक भी छात्रों के व्यक्तित्व का समग्र विकास माता पिता की सहायता से ही करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यही मातृमान पितृमान आचार्यवान् पुरुषों वेद का वास्तविक स्वरूप है तीन महीने में न्यूनतम एक बार अभिभावक एवं अध्यापकों को बैठक किया जाना समूची शिक्षा व्यवस्था का अवि-

भाज्य अग माना जाना चाहिये ।

१६. इस समय समस्त देश में शायद ही कोई विश्वविद्यालय हो जिसमें किसी स्तर पर भी किसी प्रबन्ध परिषद में अभिभावकों को प्रतिनिधित्व दिया गया हो । शिक्षा के ढाँचे में अभिभावकों की भूमिक्रिष्टिको स्वीकार करते हुए शिक्षा संस्थानों की शिष्ट परिषदों में समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये ।
१७. जिस प्रकार गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालयों में पचासो वर्षों तक छात्रों को कठोर नियमित जीवन का अभ्यास बनाने हेतु व्रताभ्यास की परिपाटी प्रचलित रही है उसी आधार पर देश के समस्त शिक्षा संस्थानों में छात्रों को नियमित कठोर जीवन का अभ्यास बनाने हेतु प्रयत्न किया जाना चाहिये । वैदिक दृष्टिकोणों में यही योग, तप एव ब्रह्मचर्य है । योगिक शिक्षा के इस आधान को स्वीकार करते हुए शिक्षा का अविभाज्य अंग बना दिया जाये । प्रत्येक शिक्षालय में योग के अनिवार्य शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये । इस हेतु प्रत्येक विद्यालय में योग शिक्षण का समुचित प्रबन्ध होना चाहिये ।
१८. समाज में शिक्षा के प्रसार हेतु रेडियो, दूरदर्शन एव अन्य दृश्य, श्रव्य साधनों का व्यापक सुसज्जित ढंग से प्रयोग होना चाहिये ।
१९. प्रत्येक शिक्षालयों में शिक्षण कार्य से पूर्व सम्मिलित अग्निहोत्र करने की परिपाटी का विस्तार किया जाये तथा इसे पौराणिक कर्मकांड के रूप में नहीं बल्कि पर्यावरण की शुद्धि हेतु प्रयोग किया जाये ।
२०. शिक्षा नाति की समस्त धृति शिक्षक पर अवलम्बित है अतः सर्वप्रथम देश के दस लाख शिक्षा शिक्षक वर्ग को शिक्षा के स्वोत्सविकलक्ष्यों एव आदर्शों के अभ्यस्त करने शिक्षित किया जाना प्रथम आवश्यकता है । जिसके लिये निम्न सस्तुतिया दी गई है—
- २०-१ शिक्षकों को भी शिक्षित करने हेतु शिक्षा शास्त्री विद्वानों द्वारा सारे पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाये ।

२०-२ देश के चुने हुए विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में विभिन्न चरणों में दो दो सप्ताह का शिक्षकों को शिक्षित करने हेतु अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण लयाया जाये।

२०-३ प्रत्येक शिक्षक संस्थान इन विवरणों के माध्यम से एक वर्ष में २००० शिक्षकों को शिक्षित करने के व्यापक कार्यक्रम में योगदान देना कही जाकर शिक्षा के आधार भूत सिद्धांतों शिक्षक तन्निष्ठ शिक्षण के कारण राष्ट्रीय शिक्षा के वही प्रहरी है।

— ० —

इस पत्रिका में जो लेख प्रकाशित किए गए हैं उनके विषय में यह न समझा जाये कि उनमें निहित विचारधारा सम्पादक की विचारधारा है अथवा सम्पादक उन विचारों से सहमत है। उनके विचारों की आलोचना में जो लेख आएंगे उनका भी समुचित आदर किया जायेगा।

— सम्पादक

नदी का दर्प

—कुमार हिन्दी*

नदी ने भगवान से कहा—
तूने मेरे इर्द गिर्द किनारे बाधकर
मुझे कैदी बना दिया है ।
भगवान ने कहा—
अच्छा, बेटी लो मैंने तेरे
किनारे तोड़ दिये ।
किनारे टूटे,
नदी नाची,
उच्छ्वसल हुई,
तूफान आये,
तुगयानी आई,
नगर बरबाद हुये,
खेत उजड़े,
जहा तहा जीहड़ बन गये,
बदबू पैदा हुई,
मच्छरों का आतक फैला ।
मनुष्य चौंका,
उसने नदी को फिर बाधना शुरू किया ।
अब नदी शीतल सलिल हो,
खेतों को निहाल करती है,
भूमि समसब्ज करती है,
ऊर्जा के भण्डार उत्पन्न करती है ।
संसार का उपकार करती है ।

[*कुमार हिन्दी"—सम्माननीय कुलपति श्रीमान् वलभद्रकुमार हूजा का काव्यगत उपनाम है। आपकी रचनाओं में मानव-हृदय को प्रेरणा देने वाले श्रेष्ठ भाव रहते हैं। उनमें लक्षणा, व्यञ्जना भी होती हैं तथा उदात्त भावों का कोष भी ।]

—सम्पादक

विश्वविद्यालय में इटली के हिन्दी-विद्वान का आगमन

दिसम्बर ११ अक्टूबर, १९८२ को इटली स्थित वेनस विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभागाध्यक्ष डा० लक्ष्मण प्रसाद मिश्र पी-एच० डी०, डी० लिट० का शुभागमन हुआ। हिन्दी-विभाग की ओर से उनके एक व्याख्यान का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता माननीय कुलपति महोदय ने की। प्रारम्भ में विद्वान अतिथि का परिचय कराते हुए हिन्दी-विभागाध्यक्ष डा० अम्बिका प्रसाद वाजपेयी ने उनका स्वागत किया तथा उनसे व्याख्यान हेतु प्रार्थना की। विद्वान प्रोफ़ेसर डा० मिश्र ने अपने व्याख्यान के द्वारा इटली में हिन्दी-प्रचार की स्थिति से सभी को अवगत कराया। उन्होने बतलाया कि वहाँ के छात्रों में हिन्दी सीखने की प्रबल अभिलाषा है। नागरी लिपि के सरल होने के कारण छात्रों को हिन्दी के उच्चारण एवं लेखन में पर्याप्त सुगमता होती है तथा उसकी सरलता के कारण वे अन्य भाषाओं की अपेक्षा हिन्दी को सरलता से सीख लेते हैं। इटली में भारतीय सस्कृति के प्रति महान् आस्था है तथा हिन्दी के कवियों में भी वे तुलसी और मीरा के काव्य के प्रति अधिक रुचि रखते हैं। विद्वान प्रोफ़ेसर ने यह भी बतलाया कि वे रामचरितमानस का इटली की भाषा में रूपान्तर कर रहे हैं।

उनके विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान को विश्वविद्यालय के छात्रों एवं शिक्षकों ने सुना तथा उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न भी किये जिनका समुचित उत्तर उन्होने दे दिया।

अन्त में उनके व्याख्यान के प्रति हिन्दी-विभागाध्यक्ष, आचार्य एवं उपकुलपति तथा माननीय कुलपति महोदय की ओर से आभार व्यक्त किया गया।

इस विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभागाध्यक्ष का सम्मान

मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्थापित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (Special Area Development Authority) चित्रकूट (जिसके अध्यक्ष अवकाशप्राप्त आइ० ए० यस०) भू० पू० कमिश्नर एव सेक्रेटरी लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट मध्यप्रदेश (श्री महेन्द्रप्रसाद सिंह हैं) के तत्वावधान में एक रामायण-महोत्सव का आयोजन दि० ११-११-८२ से दि० १४-११-८२ तक किया गया। इसमें देश भर के तुलसी-साहित्य-मर्मज्ञ विद्वानों के व्याख्यान हुए। इसमें भाग लेने वालों में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी, मंत्रीगण एव विधान परिषद अध्यक्ष आदि भी थे। उस मंच पर गुरुकुल कागडो विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभागाध्यक्ष, डा० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट० के दो शोधपूर्ण व्याख्यान हुए। उनके प्रथम व्याख्यान में ही ऐसा समा वधा कि लोगो ने कहा कि इस मंच के सर्वश्रेष्ठ वक्ता डा० वाजपेयी हैं और उन्हे दूसरे व्याख्यान के हेतु पुन आमन्त्रित किया जाये। डा० वाजपेयी वैसे भी तुलसी पर डी० लिट० उपाधि का शोध-कार्य करने वाले सर्वोच्च विद्वानों में इस समय (सेवारत विद्वानों में) सबसे पुराने हैं और उनका शोधकार्य मनोवैज्ञानिक है। उन्होने अपने अध्ययन की गम्भीरता का परिचय एक ऐसे महत्त्वपूर्ण मंच पर देकर इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व श्रीवृद्धि की है। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्हे हमारी अनन्त शुभकामनाएं अर्पित हैं।

सहायक सम्पादक

सम्पादकीय वक्तव्य

'प्रह्लाद' पत्रिका का पुराना इतिहास है। इस पत्रिका का नामकरण तथा सर्वप्रथम प्रकाशन उन विद्वान् आचार्य के द्वारा (सन् १९३१ मे) किया गया था जो अब इस सप्ताह मे नहीं है, किन्तु जिनके आचार्यत्व से गुरुकुल काँगड़ी गौरवान्वित रह चुका है। वे स्वनामधन्य स्व० आचार्य गोवर्धन जी शास्त्री एम० ए० एम० ओ० एल० थे जिनकी कीर्ति-कौमुदी से यह सस्था आज भी जगमगा रही है। उन्ही के वरद पुत्र तथा भारती के अमर-साधक माननीय बलभद्रकुमार जी हूजा (अवकाश प्राप्त आई०ए०एस०) कुलपति, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय से सभी परिचित है। उन्होने इस सस्था के संचालन का भार उस समय ग्रहण किया था जबकि यह डूब रही थी और अपने अथक परिश्रम त्याग और तपस्या के द्वारा आज उसे सर्वोच्च शिक्षा सस्थाओं के मध्य लाकर खड़ा कर दिया है। विगत कुछ वर्षों मे ही इस सस्था के अनुदान मे पर्याप्त वृद्धि हुई है।

“प्रह्लाद” शब्द अपने आप मे ही त्याग, उत्सर्ग, दृढता, साहस एव कर्तव्यपरायणता का प्रतीक है। आशा है प्रह्लाद के सद्गुणों को देश के सभी युवक ग्रहण करेगे।

इस कार्य को सुगम बनाने मे इस विश्वविद्यालय के सुयोग्य वित्त अधिकारी, श्रीमान् ब्रजमोहन जी थापर ने मुझे जो सहयोग प्रदान किया है उसकी जितनी अधिक प्रशंसा की जाए कम है। उनकी सहायता के बिना इस पत्रिका का समय पर प्रकाशित हो पाना असम्भव था। इसके साथ ही कुल सचिव महोदय (डा० जबरसिंह सेगर) का भी बहुत सहयोग रहा है। अस्तु इनके प्रति आभार प्रकट करते हुए मुझे परम प्रसन्नता है।

श्रेष्ठ सुदेशचन्द्र शास्त्री, प्रिंसिपल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज गुरुकुल काँगड़ी श्री सुरेशचन्द्र जी त्यागी, प्रिंसिपल विज्ञान महाविद्यालय, डॉ० सत्यदेव कोहली तथा श्री जितेन्द्र जी, सहायक मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल काँगड़ी एव श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी, उप कुल सचिव के प्रति आभार प्रकट करना भी अपना

कर्तव्य समझता हूँ ।

आचार्य रामप्रसाद जी इस पत्रिका के सरक्षक हैं तथा माननीय कुलपति जी प्रधान सरक्षक हैं । ये तो इस पत्रिका के प्रमुख प्रेरणा-स्रोत हैं अतः इनसे उभ्रूण हो पाना कठिन है । इन्हें धन्यवाद देना मात्र औपचारिकता होगी ।

कुछ ऐसे सज्जन भी हैं जो मित्र, परामर्शदाता अथवा सहायक सम्पादक हैं । वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

पत्रिका में जो त्रुटियाँ हैं उन सबका उत्तरदायित्व मुझ पर है अस्तु मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ ।

यदि इस पत्रिका के द्वारा पाठकों का लेशमात्र भी अनुरजन हो सका तो मेरा प्रयास सफल है ।

उक्त निवेदन के साथ सभी पाठकों को सन् १९८३ के नव-वर्ष की मंगल कामनाएं अर्पित हैं ।

—सम्पादक

परामर्शदात्री-समिति

- १ मदाशिव भगत --- अध्यक्ष, अग्रजो-विभाग
- २ ओमप्रकाश मिश्र --- .. मनोविज्ञान विभाग
- ३ विजयपाल मिह्र --- .. गणित विभाग
- ४ डॉ० विलोदचन्द्र मिनहा --- , प्राचीन भारतीय इतिहास एवं
संस्कृति विभाग
- ५ डॉ० निगम शर्मा --- , भस्क्रुत विभाग
- ६ डॉ० जयदेव विद्यालकार --- कार्यवाहक अध्यक्ष, दर्शन-विभाग